जाति आधारित – यौन हिंसा और राज्य से दण्ड मुक्ति

कॉपीराइटः DHRDNet, मार्च 2022

इनकारी बयान/डिस्क्लेमरः NCWL, TISS, DHRDNet ने सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। हालांकि, अगर कोई गलती पाई जाती है तो यह अनजाने में की गई है।

प्रकाशन : दलित मानवाधिकार रक्षक नेटवर्क (DHRDNet)

जाति आधारित – यौन हिंसा और राज्य से दण्ड मुक्ति

अनुक्रमणिका

कार्यकारी सारांश 6

समर्पण 7

आभार 8

परिचय 9

कार्यप्रणाली और पृष्ठभूमि 12

जाति आधारित यौन हिंसा के मामलों का विषयगत विश्लेषण 15

- जाति आधारित विषाक्त मर्दानगी और यौन हिंसा के कई रंग 16
- पीछा करना और यौन हमला 17
- अपहरण और यौन उत्पीड़न 19
- यौन हिंसा करने के लिए प्रेम का लालच और धमकियां 20
- जाति आधारित यौन हिंसा के लिए टेक्नॉलॉजी का उपयोग 22
- जाति और धर्म पर आधारित यौन हिंसा 24
- छोटी बच्चियों और बच्चों को भी नहीं बख्शा 25
- जब रक्षक हमलावर बन जाते हैं: ना घर में सुरक्षित ना अनाथालय में 27
- काम के आधार पर शोषण और जाति आधारित यौन हिंसा 28

न्याय तक पहुँचने के लिए प्रणालीगत बाधाएं 30

- संस्थागत जातिवाद और पितृसत्ता 31
- रिपोर्टिंग और पुलिस जांच के दौरान आने वाली कठिनाइयाँ 34
- चिकित्सा जांच और उपचार में समस्याएं 40
- न्यायिक प्रक्रिया में बाधाएं 43

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफलता 46
- सामुदायिक हस्तक्षेप की भूमिका और समझौता करने का दबाव 47
- आशा की धुंधली किरणें! 50

पीड़ितों के लिए सहायता सेवाओं की पहुंच 51

- निर्भया फंड का उपयोग 52
- मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाइयाँ 53
- मनो–सामाजिक और अन्य सहायता सेवाओं तक पहुंच 55
- पीड़ित और पीड़ितों के परिवारों के समर्थन में दलित कार्यकर्ताओं और सीएसओ की भूमिका 56

सुझाव 58

- केंद्र सरकार को 59

  आम 59

  आवश्यक नीतिगत उपाय करें 59

  जागरूकता बढ़ाने वाले और शिक्षा कार्यक्रम लागू करें 60

  उपलब्ध डेटा और अनुसंधान में सुधार करें 60

- राज्य सरकारों को 61

  दलित महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और यौन हिंसा की रोकथाम 61

  मौजूदा कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन 61

  पुलिस प्रतिक्रिया और जवाबदेही में सुधार करें 62

  पीड़ित–जीवित लोगों को समग्र सहायता प्रदान करें 62

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और संबंधित राज्य आयोगों 63

कार्यकारी सारांश

दशकों से, भारत में दलित महिलाओं को सामाजिक समूहों में उनके स्थान के कारण कई रूपों में असंख्य तरह के अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा है। बीते कुछ वर्षों में, जाति–आधारित यौन हिंसा की रिपोर्टिंग में बढ़ोतरी हुई है, और ये देखा गया है की राज्य के कर्तव्य–धारकों, विशेष रूप से पुलिस और चिकित्सा कर्मियों द्वारा इन मामलों में अपराधियों को कई तरह की छूट मिलती है।

कुख्यात हाथरस मामले में, ऐसी चीजें उभर कर सामने आईं, जहां पीड़िता को समय पर चिकित्सा सहायता से वंचित रखा गया था और उसकी मृत्यु के बाद, उसके शरीर को पुलिस ने बिना बताए या उसके परिवार को शामिल किए बिना जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। इस तरह के कई अपंजीकृत मामले ज्यादातर खबरों से ग़ायब होते हैं, और पीड़िताओं को चिकित्सा सहायता, परामर्श, न्याय और निवारण तक पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है।

यह रिपोर्ट 13 भारतीय राज्यों में दलित महिला कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए एक शोध का परिणाम है, जहां वे कई वर्षों से जाति आधारित यौन हिंसा के मामलों की जाँच कर रही हैं और उन पर कार्यवाही करवाने में अपना सहयोग दे रहीं हैं। यह रिपोर्ट इस समय विशेष रूप से ज़रूरी है, जब देश COVID–19 महामारी के बाद के झटकों और भारत सरकार द्वारा देश भर में लगाए गए जल्दबाजी में किए गए लॉकडाउन उपायों से प्रेरित आर्थिक नुकसान से जूझ रहा है

अब जब अन–लॉकडाउन के चरण शुरू हो रहे हैं, हम यह देख सकते हैं कि कैसे दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रकृति, पैटर्न और रूप लॉकडाउन उपायों के बावजूद बढ़े हैं। वास्तव में, महामारी ने, नौकरी छूटने और आय के नुकसान के चलते, दलित महिलाओं के जीवन के संकटो को और गहरा कर दिया है। गरीबी, भूमिहीनता और आर्थिक संपत्ति की कमी उनकी असुरक्षा को बढ़ा देती है। जैसे ही दलित परिवार बेहतर संसाधनों और सेवाओं तक पहुंचने, खुद को शिक्षित करने और गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, प्रमुख जाति समूहों द्वारा उनके ख़लिाफ़ तुरंत प्रतिक्रिया होती है।

इस रिपोर्ट में बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को शामिल किया गया है। जांचे गए 50 मामले 2015 और 2021 के बीच सात वर्षों की अवधि में हुई यौन हिंसा की घटनायें हैं। इनमें से 32 पिछले तीन वर्षों के हैं – 2019 और 2021 के बीच। इन्हें इसलिए लिया गया है ताकि हाल के मामलों का ख़ास विश्लेषण किया गया है। और यह भी देख सके की यौन हिंसा से पीड़ित दलित महिलाओं की न्याय तक पहुंच पर महामारी का क्या प्रभाव रहा है। इन 13 राज्यों में कार्यरत दलित महिला मानवाधिकार रक्षकों ने इन सभी मामलों को खुद चुना था।

रिपोर्ट को विशिष्ट विषयों में व्यवस्थित किया गया है, यह विषय प्रमुख जाति समूहों के पुरुषों द्वारा की गई हिंसा के पैटर्न, न्याय प्रणाली में देरी और प्रणालीगत बाधाओं और पीड़ितों और उनके परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों, और समर्थन तक पहुंच, पीड़ितों के लिए सेवा केंद्र, राज्य सरकारों की न्याय प्रक्रिया में दलित महिला कार्यकर्ताओं के कुछ प्रमुख प्रयास, पर आधारित है।

यह रिपोर्ट दलित महिला मानवाधिकार रक्षक स्वर्गीय सिप्रा देवी को समर्पित है, जिन्होंने यौन हिंसा के पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

आभार

नेशनल काउंसिल ऑफ लीडर्स (NCWL) ने इक्वैलिटी नाउ, इक्वालिटी लैब्स और दलित ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स नेटवर्क (DHRDNet) के सहयोग से "दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा बंद करो" नामक ऑनलाइन सोशल मीडिया अभियान चलाया, जिसमें भारत के 15 राज्यों में गंभीर जाति आधारित यौन हिंसा पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह अभियान 19 जुलाई 2021 को शुरू किया गया और 31 अगस्त 2021 को समाप्त हुआ। इस अभियान के दौरान, हमने पंद्रह राज्यों के सत्तर मामलों का दस्तावेजीकरण किया, जिनमें से 13 राज्यों के पचास केस स्टडी को चुना गया ।
इस रिपोर्ट के प्रयोजन में मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर महिला और पुरूष मानवाधिकार रक्षकों में से अधिकांश एनसीडब्ल्यूएल और डीएचआरडीनेट के सक्रिय सदस्य हैं जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने का अथक प्रयास कर रहे हैं कि जाति आधारित यौन हिंसा के पीड़ितों को कानूनी सहायता, मुआवजा, पुलिस सुरक्षा, आघात परामर्श, नैतिक समर्थन आदि प्राप्त हो। इस रिपोर्ट को लिखने में उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता को हम सम्मान सहित आभार व्यक्त करते हैं।
इन साथियों के नाम हैं–

1. एडवोकेट सविता अली – बिहार
2. स्वर्गीय शिप्रा देवी – छत्तीसगढ़
3. भावना नारकर – गुजरात
4. नीरू चौरसिया – गुजरात
5. अरविंद मकवाना – गुजरात
6. प्रीति वाघेला – गुजरात
7. वासुदेव चारुपा – गुजरात
8. एडवोकेट मनीषा मशाल – हरियाणा
9. एडवोकेट रजनी मिशाल – हरियाणा
9. मृदुला देवी – केरल
10. प्राची साल्वे – महाराष्ट्र
11. स्वाति बौध – उड़ीसा
12. संध्या देवी – उड़ीसा
13. सरिता वर्मा – राजस्थान
14. डॉ सुजाता सुरेपल्ली – तेलंगाना
15. अंडाल गोपालकृष्णन – तमिलनाडु
16. विन्सेंट राज – तमिलनाडु
17. जबर सिंह – उत्तराखंड
18. रानी सलमानी (अस्तित्व) – उत्तर प्रदेश
19. मीना राव (एनसीडब्ल्यूएल) – उत्तर प्रदेश
20. सीमा (एनसीडब्ल्यूएल) – उत्तर प्रदेश

हम इक्वालिटी नाउ से दिव्या श्रीनिवासन द्वारा किए गए दस्तावेजीकरण और उनके विश्लेषण व WAYVE फाउंडेशन की दिव्यांगी भार्गव के समर्थन के आभारी हैं। हम इस शोध रिपोर्ट को तैयार करने में सक्रिय योगदान देने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज, मुंबई में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ शिउली कुमार के प्रति भी आभारी हैं।
हम, हिन्दी अनुवाद के लिए पंखुड़ी ज़हीर दासगुप्ता, प्रूफरीडिंग के लिए अंजू दास, सामने और पीछे के कवर पर पेंटिंग के लिए रोली मुखर्जी, रेखांकन और रिपोर्ट के डिजाइन के लिए जय सागठिया और जिगर सागठिया के आभारी हैं।

एकजुटता में
मंजुला प्रदीप
राष्ट्रीय संयोजक/अभियान निदेशक
एनसीडब्ल्यूएल/डीएचआरडीनेट

परिचय

हमारी लड़ाई के खिलाफ है ।

जातिगत लैंगिक हिंसा

हमारे

हक और आत्म सम्मान की लड़ाई है

और इस लड़ाई को हम तब तक लड़ेंगे जब तक की हमारी औरतो और लड़कियों को उनका सम्मान तथा हक नहीं मिल जाता ।

हमारी लड़ाई न्याय के लिए हे ।

यह रिपोर्ट 13 राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय महिला नेता परिषद (एनसीडब्ल्यूएल) की दलित महिला नेताओं द्वारा पूरे भारत में होने वाले जाति आधारित यौन हिंसा के मामलों का विश्लेषण सामने लाने का प्रयास है। इस रिपोर्ट से यह झलकता है कि कैसे जाति आधारित यौन हिंसा का उपयोग दलित महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षित आजीविका, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य तक पहुंच, भोजन, पानी और आश्रय जैसी बुनियादी सेवाओं– और सबसे ज़रूरी गरिमा और स्वाभिमान से वंचित रखने के लिए किया जाता है। दलित महिला मानवाधिकार रक्षको की जानकारी को इकट्ठा करने में सक्रिय भागीदारी हैं। वे इस रिपोर्ट के द्वारा पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के साथ–साथ, उनके द्वारा झेले गए भेदभाव और अभाव का गहरा विश्लेषण भी करते हैं।

रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण समय में आई है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अभी देश COVID-19 महामारी के झटकों और देश भर में भारत सरकार द्वारा लगाए गए जल्दबाजी में किए गए लॉकडाउन उपायों से हुए आर्थिक नुकसान से जूझ रहा है। जैसे–जैसे हम अन–लॉकडाउन की ओर बढ़ते हैं, हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि लॉकडाउन के तमाम उपायों के बावजूद, दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रकृति, ढाँचे और रूप में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है।[1]

लगभग 16% अनुसूचित जातियां (जिन्हें 'दलित' के रूप में जाना जाता है) दैनिक वेतन कार्यो में हैं, जो अनिश्चित और असुरक्षित हैं। इनमें से कई दलित महिलाएं हैं।[2] COVID महामारी ने दलित महिलाओं के जीवन में नौकरी छूटने और आय न मिलने के संकट को और गहरा कर दिया है। गरीबी, भूमिहीनता और आर्थिक संपत्ति की कमी का संदर्भ दलित महिलाओं की असुरक्षा को बढ़ा देता है, हालांकि इस तथ्य

[1] DHRDnet (2020). No Lockdown on Caste Atrocities, Stories of Caste Atrocities during COVID-19 Pandemic. DHRDnet Publications
[2] Deshpande A & Ramachandran R. (2020). Is Covid-19 "The Great Leveler"? The Critical Role of Social Identity in Lockdown-induced Job Losses. Discussion Paper DP. No. 4. Ashoka University

को आमतौर पर राज्य या मीडिया द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। लगातार अवलोकन दर्शाते हैं कि जब–जब दलित परिवार बेहतर संसाधनों और सेवाओं तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, खुद को शिक्षित करते हैं और गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, प्रमुख जाति समूहों से पलटवार शुरू हो जाते हैं।

इन मुद्दों में प्रमुखता से ऐसे मामले आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण यौन हिंसा की स्थानीय प्रकृति है तथा जिसमें पीड़ित और अपराधी एक दूसरे के करीब रहते हैं। लगभग सभी मामलों में दलित महिलाओं, लड़कियों और उनके परिवारों को दबंग जाति के पुरुषों द्वारा धमकाए जाने का का निरंतर इतिहास रहा है। इस तरह के प्रतिरोध के अंतिम जवाब में दलित परिवारों की महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ प्रमुख जाति के पुरुषों द्वारा यौन हिंसा होती हैं। इस रिपोर्ट में ऐसे सारे अवलोकन और विभिन्न संदर्भों को शामिल किया गया है जो जातिगत यौन हिंसा का साक्ष्य है।

2020 के उत्तर प्रदेश का हाथरस मामला[3] और 2021 के 9 साल की दलित लड़की के दिल्ली छावनी में बलात्कार का मामला, [4] शोषण और यौन हिंसा के इन क्षेत्रों की ओर इशारा करता है। यौन हिंसा का इस्तेमाल प्रमुख पदों पर बैठे लोगों द्वारा सत्ता का दावा करने और शोषक सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। दलित महिलाओं और लड़कियों को अक्सर यौन हिंसा के अधिक गंभीर रूपों का सामना करना पड़ता है, जैसे सामूहिक बलात्कार या बलात्कार के बाद हत्या। आमतौर पर इन अपराधों की प्रकृति सामूहिक होती है, जिसमें प्रमुख जातियों के अपराधी; समूहों में ये अपराध करते है। दलित महिलाओं और लड़कियों की क्रूर हत्याओं के साथ अक्सर हिंसा के चरम रूप, विशेष रूप से यौन हमले, दशकों से रिपोर्ट किए गए हैं। दलित महिलाओं के शरीर को उनकी दलित पहचान के चिन्ह के रूप में देखा जाता है और यौन हिंसा दलित महिलाओं को अधीन रखने का एक उपकरण है। शक्ति और प्रभुत्व का यह इस्तेमाल आपराधिक न्याय प्रणाली में भी दिखता है जहां न्याय प्रदान करने बाध्य अफ़सर जैसे पुलिस, न्यायपालिका, चिकित्सा अधिकारी और ऐसे अन्य अपराधियों को दण्ड मुक्त छूट देते हैं। यह हाथरस मामले में साफ दिखाई दिया था।

जाति आधारित यौन हिंसा के पीड़ित भारत की कानूनी व्यवस्था के भीतर न्याय पाने के लिए संघर्ष करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2020 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर दिन लगभग दस दलित महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। लेकिन यह सिर्फ मुट्ठी भर मामले हैं, जो अपने आपमें बहुत ज्यादा, क्रूर और दर्दनाक है, जिनकी रिपोर्ट की गयी है। कई मामलों की रिपोर्ट नहीं की जाती है या कम रिपोर्ट की जाती है जिसके परिणामस्वरूप वे आपराधिक न्याय प्रणाली तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। जो मामले किसी तरह जटिल और दलित विरोधी पुलिस और न्यायिक व्यवस्था से गुजर पाते हैं, उनमें अपराध सिद्ध होने की सम्भावना कम होती है। जैसे ही कोई मामला दर्ज किया जाता है, अपराधी और अन्य प्रभावशाली समूह सिस्टम में अपने प्रभाव के चैनलों को सक्रिय कर देते हैं और पीड़ितों और उनके परिवारों को चुप कराने के लिए पर्याप्त सबूत न इकट्ठा करने या डराने–धमकाने की रणनीति शुरू कर देते हैं, जिस वजह से बलात्कार के मामलों में सजा कम होती है।

भारत का संविधान समानता और कानूनी रक्षा की गारंटी देता है और लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुसूचित जातियों के खिलाफ भेदभाव को स्वीकार करते हुए, यह विशेष रूप से अनुच्छेद 17 में छुआछूत की प्रथा का अंत करता है। 2013 की जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट ने सभी महिलाओं की शारीरिक अखंडता को स्पष्ट रूप से पहचाना और यह उल्लेख किया है कि सभी प्रकार के

[3]Rege S & Deosthali P (2020). Hathras Rape Case: Right to Medico-Legal Care for Survivors a Long Way to Go. https://www.theleaflet.in/hathras-rape-case-right-to-medico-legal-care-for-survivors-has-a-long-way-to-go/# accessed 12/10/20
[4]Geetha V (2021). Sexual Violence against Dalits the current Conjuncture www.TheIndiaForum.in. accessed 1/10/21

यौन उत्पीड़न और हिंसा को महिला के समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, जैसा कि अनुच्छेद 14 और 15 के तहत, व उसके जीवन के अधिकार (सम्मान के साथ जीने के अधिकार सहित) संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार गारंटी है।[5] समिति ने आगे कहा कि यौन उत्पीड़न को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत किसी व्यापार या व्यवसाय करने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा जिसमें महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्त माहौल में सुरक्षित रहने का अधिकार शामिल है।

इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम (एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम) 1989 में जाति आधारित अत्याचारों को रोकने और प्रभावी ढंग से संबोधित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम निषिद्ध अत्याचारों की एक सूची भी देता है। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर अपराध करने वालों को, जिसमें बलात्कार भी शामिल है, जो एक व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है क्योंकि वे अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, बढ़ी हुई सजा मिलती है। एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत सभी मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) या उसके ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। इस कानून में पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास के प्रावधान भी शामिल हैं।

लेकिन इन कड़े कानूनी उपायों में से कोई भी कानून प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि न्याय करने वाले अधिकारियों को या तो बहुत कम जानकारी है, या वे अपराधियों को आसानी से दंडमुक्त छोड़ देना चाहते हैं। इसके अलावा, यौन हिंसा के नए पैटर्न हैं जो समकालीन समय में उभर रहे हैं। प्रभुत्वशाली जातियों के पुरुष और लड़के युवा दलित लड़कियों को फंसाने के लिए रोमांटिक रिश्तों के लालच का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर एक समूह में उनका अक्सर बलात्कार कर रहे हैं, बलात्कार के वीडियो बना रहे हैं और लंबे समय तक यौन हिंसा को जारी रखने के लिए उन्हें धमकी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जाति आधारित यौन हिंसा को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्रमुख जाति के पुरुषों और लड़कों के लिए एक आसान हथकंडा बन गया है।

यह रिपोर्ट बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित भारत के 13 राज्यों में जाति आधारित यौन हिंसा की प्रकृति और रूपों के आधार पर जाति आधारित यौन हिंसा के कई मामलों को स्पष्ट करती है। इसमें न्याय तक पहुँचने के लिए प्रणालीगत बाधाओं का विश्लेषण और इन राज्यों में दलित महिला मानवाधिकार रक्षकों के दृढ़ और लगातार प्रयास और सफलता की कहानियाँ शामिल हैं जो यौन हिंसा की पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही हैं।

[5]Report of the Justice J.S. Verma Committee on Amendments to Criminal Law (2013), p. 117, https://www.thehindu.com/multimedia/archive/01340/Justice_Verma_Comm_1340438a.pdf

कार्यप्रणाली और पृष्ठभूमि

कार्यप्रणाली

राष्ट्रीय महिला नेताओं की परिषद दलित, बहुजन महिला मानवाधिकार रक्षकों का एक समूह है जो इन सभी 13 राज्यों में कई वर्षों से काम कर रहा है। जमीनी स्तर पर उनकी उपस्थिति, सक्रिय हस्तक्षेप और जाति आधारित यौन हिंसा के पीड़ितों और पीड़ितों की जरूरतों पर तत्काल प्रतिक्रिया ने इस अध्ययन को संचालित करने के लिए एक बहुमूल्य आधार प्रदान किया। चूंकि उनके पास पहले से ही कई मामलों का विवरण था जिन्हें वे कानूनी और परामर्श सहायता के माध्यम से संभाल रहे हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों के सटीक विश्लेषण और पैटर्न समझने के लिए इस अध्ययन में पिछले और नए दोनों मामलों को शामिल किया जाएगा।

इस रिपोर्ट के लिए चुने गए मामले यौन हिंसा की उन घटनाओं पर आधारित हैं, जो 2015 – 2021 के बीच 7 साल की अवधि में हुई थी। 50 में से 32 मामले ऐसे है जो पिछले तीन वर्षों में, यानी 2019 – 2021 के बीच में हुए है। इन्हें इसलिए रखा गया है ताकि हम इन मामलों का विश्लेषण कर सकें और यह भी देख सके की यौन हिंसा से पीड़ित दलित महिलाओं की न्याय तक पहुंच पर COVID–19 महामारी का क्या प्रभाव रहा।(नीचे ग्राफ 1 देखें)। 13 राज्यों में दलित महिला मानवाधिकार रक्षकों द्वारा इन मामलों को जानबूझकर चुना गया था। इसलिए, यह अध्ययन इन राज्यों में मौजूद जाति आधारित यौन हिंसा के पूरे पैटर्न और संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

चित्रः1 इस रिपोर्ट के लिए अध्ययन किए गए 2015 – 20 से जाति आधारित हिंसा की घटनाओं की संख्या

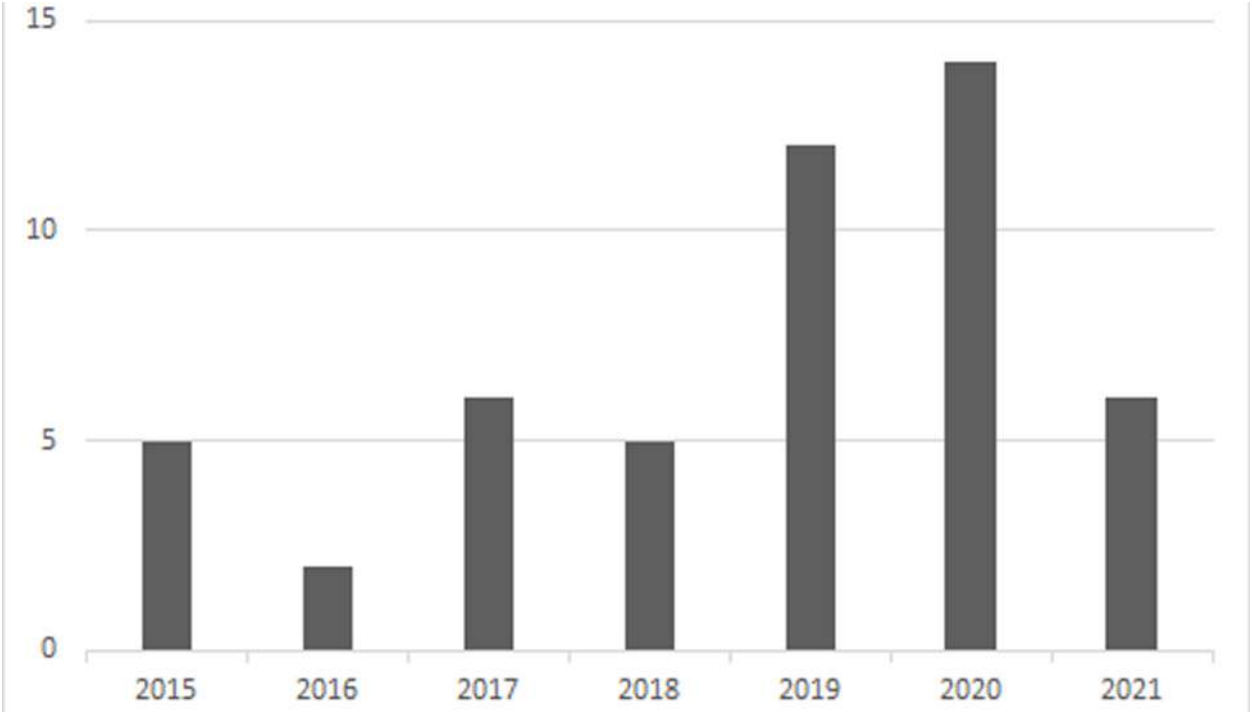

COVID – 19 महामारी ने जानकारी एकत्र करने और पीड़ितों का समर्थन करने के लिए एक अलग तरह की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति भी पैदा की। विभिन्न राज्यों में घोषित लॉकडाउन के कारण दलित महिला कार्यकर्ताओं का अधिकांश काम बाधित था। इसके अलावा वे पीड़ितों को प्रतिक्रियात्मक और शीघ्र सहायता प्रदान नहीं कर पाई, जिससे पीड़ितों और उनके परिवारों की विपत्ति ग्रस्त स्थिति और बढ़ गई।

इस रिपोर्ट को तैयार करने में डेटा संग्रहण को टेलीफ़ोनिक इंटर्व्यू और व्हाट्सएप जैसे अन्य माध्यमों तक सीमित रखा गया था।

इस परिदृश्य को एक संदर्भ के रूप में रखते हुए डेटा को विषयगत रूप से व्यवस्थित किया गया है– जिसमें कानूनी ढांचे और उनके उल्लंघन, जाति आधारित यौन हिंसा के विभिन्न रूप, दलित महिला मानवाधिकार रक्षकों द्वारा किए गए कार्यों के कुछ प्रगतिशील उदाहरण और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें – इन सभी को दर्शाया गया है। नाम उजागर न हो; इसलिए केस स्टडी में सभी पीड़ितों के नाम बदल दिए गए हैं।

आधिकारिक एनसीआरबी डेटा के आधार पर जाति–आधारित यौन हिंसा पर पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2020 में दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के 3486 मामले दर्ज किए गए, जिसका मतलब है कि देश में हर दिन लगभग दस दलित महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। एनसीआरबी की तारीख से पता चलता है कि 2015 और 2020 के बीच दर्ज दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के मामलों की संख्या में 45% की वृद्धि हुई है।[6]

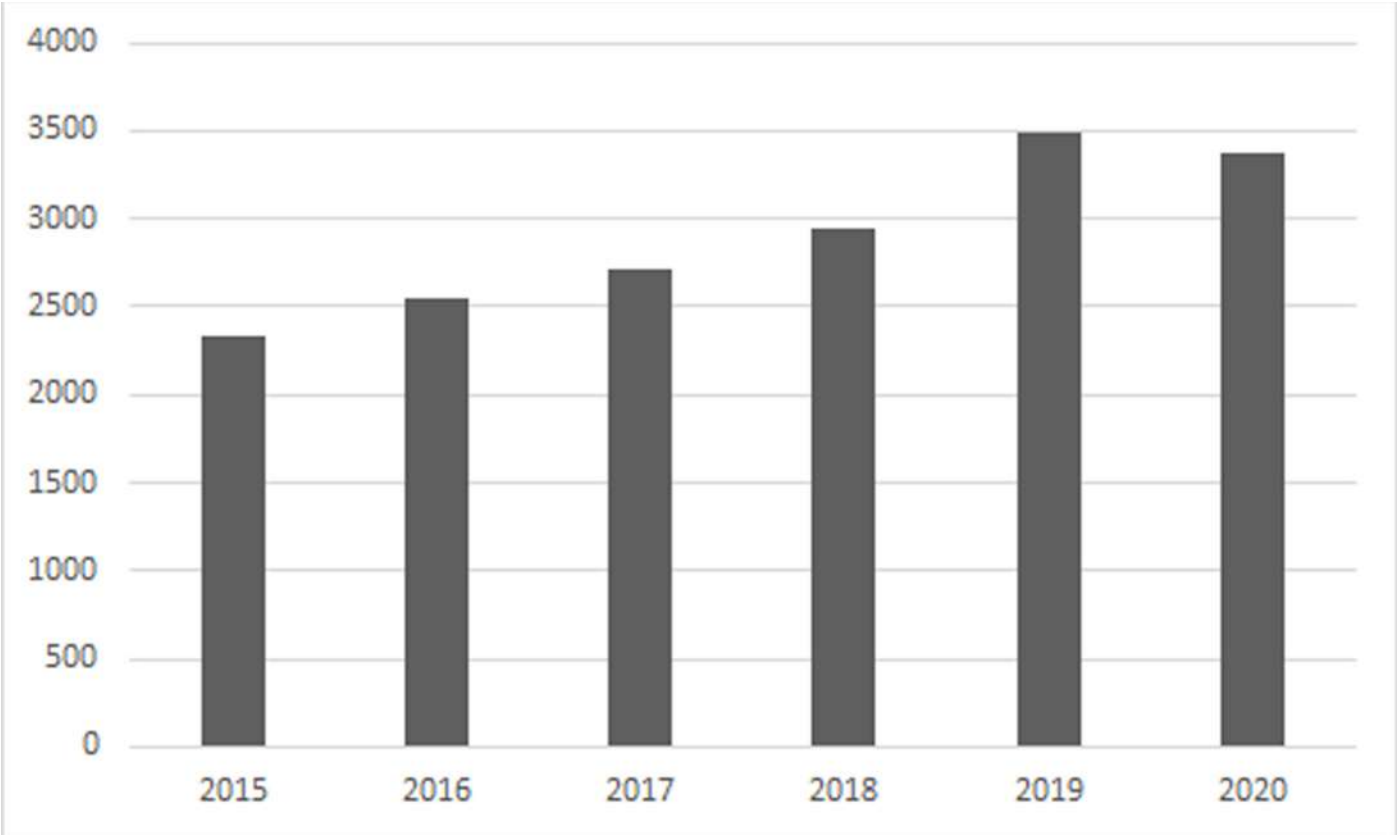

इस वृद्धि में से कुछ हिस्सा दलित महिलाओं और लड़कियों द्वारा यौन हिंसा के मामलों की बढ़ती रिपोर्टिंग की वजह से हो सकता है। हालांकि, यौन हिंसा के पीड़ित दलितों द्वारा मामलों की रिपोर्टिंग की दर अभी भी बेहद कम है।

यह उल्लेख करना भी ज़रूरी है कि आधिकारिक डेटा केवल उन मामलों को दिखाता है जहां पीड़ित पुलिस स्टेशनों में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) सफलतापूर्वक दर्ज करने में सक्षम थे। अन्य अध्ययनों से यह तथ्य सामने आया है कि जाति आधारित यौन हिंसा के अधिकांश पीड़ित पुलिस की ज़िद और अनिच्छा के कारण और प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण , जो अनुसूचित जाति और

[6]National Crime Records Bureau, Crime in India, 2015-2020, available at https://ncrb.gov.in/en/crime-in-india

अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम) की अच्छी समझ रखते हैं, एफआईआर दर्ज करने में असमर्थ हैं।[7]

पुलिस को बलात्कार के मामलों की रिपोर्ट करने की कम दर का मतलब यह कदापि नहीं है कि जाति आधारित यौन हिंसा की दर भी कम है। वास्तव में, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण– 4 के आंकड़ों से पता चलता है कि यौन हिंसा की दर अनुसूचित जनजाति (7.8%) और अनुसूचित जाति (7.3%) की महिलाओं में सबसे अधिक है, इसके बाद अन्य पिछड़ी जातियों (5.7%) और अन्य, यानी वह समूह जो जाति/जनजाति के आधार पर हाशिए पर (4.5%) आता है।[8]

जिन राज्यों में 2020 में दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सबसे अधिक बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, वे इस प्रकार हैं:

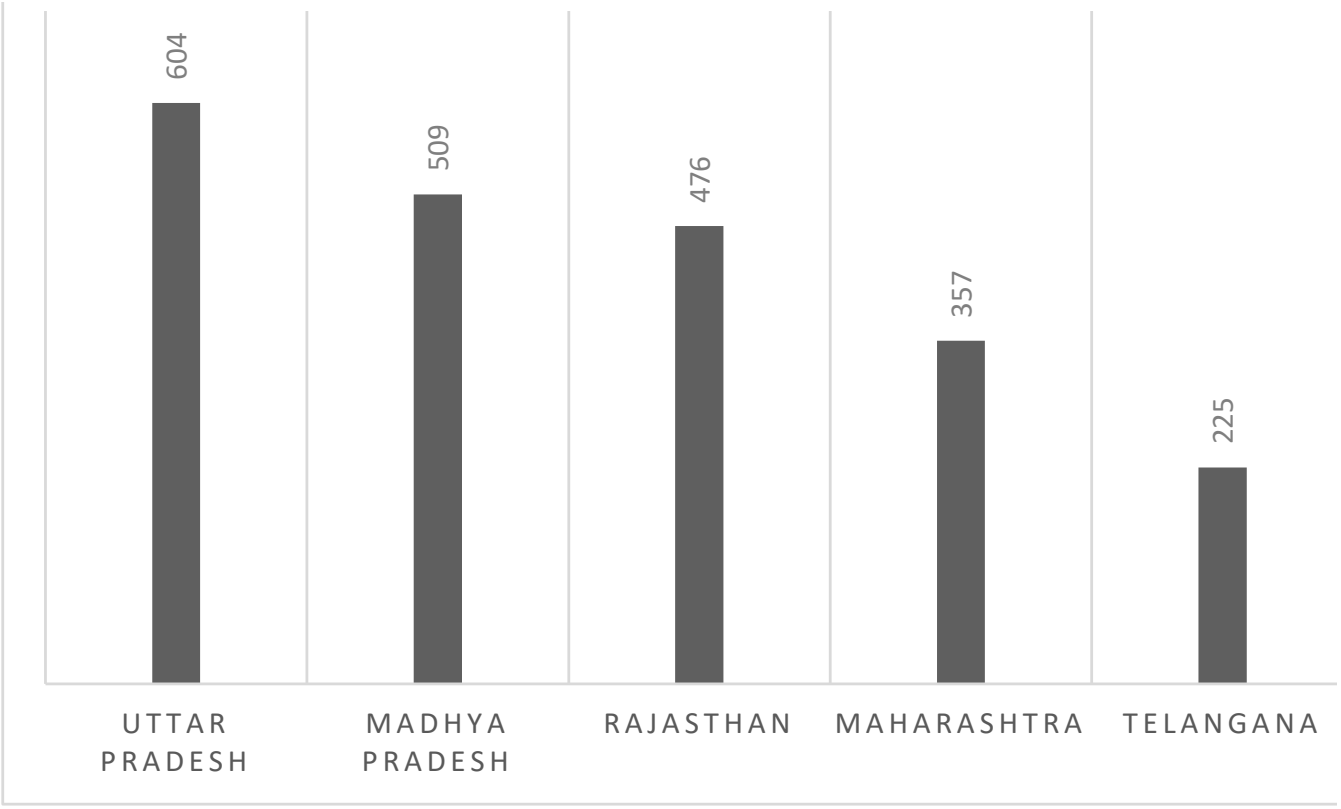

COVID-19 लॉकडाउन के कारण लोगों के इधर उधर जाने में कमी से 2020 और 2021 में दलित लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाओं में कमी आनी चाहिए थी। लेकिन लॉकडाउन ने वास्तव में प्रमुख जाति के पुरुषों को ज्यादा यौन हिंसा करने का अवसर प्रदान किया है। DHRDNet (2020) की रिपोट[9] में देश के 7 राज्यों में यौन हिंसा सहित जाति आधारित अत्याचारों की कई कहानियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। लॉकडाउन लागू होने के साथ, पुलिस बल को लॉकडाउन मानदंडों को लागू करने की एकमात्र जिम्मेदारी दी गयी। पहले से ही कम स्टाफ वाले पुलिस – बल ने अब पीड़ितों और उनके परिवारों की अपराधियों के खिलाफ प्रारंभिक शिकायतों की पूरी तरह अनदेखा करना शुरू कर दिया। इस स्थिति ने इन अपराधियों को यौन हिंसा के और भी बर्बर रूपों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवधि के दौरान जो सबसे चिंताजनक पहलू सामने आया है, वह है बड़ी संख्या में जाति आधारित यौन हिंसा तथा छोटे शिशुओं और छोटी लड़कियों के साथ की गयी यौन हिंसा।

---

[7]All India Dalit Mahila Adhikar Manch (AIDMAM)-NCDHR, Dalit Women Rise for Justice, March 2021, http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2021/04/Dalit-Women-Rise-For-Justice-Status-Report-2021.pdf; Equality Now & Swabhiman Society, Justice Denied: Sexual Violence and Intersectional Discrimination - Barriers to Accessing Justice for Dalit women and girls in Haryana, India, November 2020, https://www.equalitynow.org/justicedenied; Venugopal A &J Parvathy, 2021, Recourse for Sexual Violence Survivors in Times of Crisis. Jan Sahas Publication.

[8]National Family Health Survey - 4, 2015-16, http://rchiips.org/nfhs/NFHS-4Reports/India.pdf.

[9]DHRDNet (2020). No Lockdown on Caste Atrocities: Stories of Caste Crimes during the COVID 19 Pandemic. DHRDNet Publications

जाति आधारित यौन हिंसा के मामलों का विषयगत विश्लेषण

जाति आधारित यौन हिंसा दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ प्रमुख समूहों के पुरुषों द्वारा दलित महिलाओं के शरीर पर अपनी शक्ति का दावा करने के लिए किया जाता है। प्रमुख जाति समूह रिश्तेदारी और प्रभाव के नेटवर्क के माध्यम से राजनीतिक, कानूनी और प्रशासनिक शक्ति से जुड़ी होती है। यह जाति व्यवस्था को किसी भी बदलाव के विरुद्ध बनाता है। जाति आधारित यौन हिंसा का इस्तेमाल प्रमुख जाति के पुरुषों द्वारा दलितों को उनके पास मौजूद सामाजिक–राजनीतिक शक्ति को बनाए रखने के लिए किया जाता है।

इस अध्ययन में ऐसी हिंसा के कुछ बेहद चिंताजनक पैटर्न सामने आए हैं जहां इन समुदायों के पुरुषों द्वारा शिशुओं और बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। इनमे से कुछ पुरुष मजबूत शिकारी पशु जैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिसमें वे अपने पीड़ितों को समय के कुशल तरीके से ट्रैक करते हैं। जाति और लिंग के सामाजिक संबंधों का उपयोग यौन हिंसा के माध्यम से किया जाता है, जिसे प्रमुख जाति के पुरुष दलित लड़कियों और महिलाओं को अपने अधीन रखने के लिए करते हैं। दुर्व्यवहार, हिंसा, अपमान, और डराने–धमकाने और भय की रणनीति का उपयोग नियमित रूप से दलितों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से दूर रखने के लिए किया जाता है, जिससे उन्हें यौन दासता सहित घटिया और गंदा काम करने के लिए मजबूर किया जा सके। यह अत्याचार उन मामलों में और भी बढ़ जाता है जहां पीड़ित और उसके परिवार ने शिकायत दर्ज करने का साहस किया हैं।

इस रिपोर्ट में, इन पुरुषों के व्यवहार को उजागर करने के लिए विषय तैयार किए गए हैं जो कि आपराधिकता और जहरीली जाति आधारित मर्दानगी का एक घटिया प्रदर्शन है। पुलिस व्यवस्था और न्यायपालिका की लापरवाही के कारण पीड़ितों की परेशानी और बढ़ गई है। पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रतिक्रिया और निवारण में देरी, समर्थन और सक्षम वातावरण की कमी, सभी एक साथ मिलकर उन्हें समाज में निम्न दर्जे का होने का अहसास कराते हैं।

जाति आधारित विषाक्त मर्दानगी और यौन हिंसा के कई रंग

जाति आधारित यौन हिंसा के अधिकांश अपराधी प्रमुख जातियों से हैं। अध्ययन किए गए 50 मामलों में से 36 अपराधी ऐसे हैं जिनके लिए उनकी जाति का विवरण उपलब्ध है। इस अध्ययन में यादव और ओबीसी समुदायों के आठ–आठ अपराधी; राजपूत समुदाय से चार; और जाट और मुस्लिम समुदायों से तीन–तीन, सिख समुदाय के दो अपराधी और प्रजापति, मराठा, ब्राह्मण, वनिबा चेट्टियार, वन्नियार, गुप्ता, ठाकुर और गुर्जर जातियों के एक–एक अपराधी थे। अध्ययन से पता चलता है कि ये पुरुष दलित समुदायों की महिलाओं और लड़कियों की कामुकता को नियंत्रित करने के लिए बलात्कार को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। अधिकांश रिपोर्ट किए गए मामलों में, सभी 13 राज्यों में, पाया जाने वाला सामान्य सूत्र यह है कि दलित परिवार और उनके सदस्य उन पुरुषों के खेतों में खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं जो प्रमुख जाति के परिवारों के अपराधी हैं।[10] अन्य दलित पुरुष स्व–नियोजित हैं और उनकी आय के बहुत कम स्रोत हैं, फिर भी वे अपने बच्चों को पढ़ने भेजने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें।

इस अध्ययन में एक चौंकाने वाली बात यह है कि प्रमुख जाति समूहों के पुरुष और युवा लड़के 18 साल से कम उम्र की दलित लड़कियों को निशाना बना रहे हैं (अध्ययन किए गए 62 फीसदी मामलों में)। हिंसा के पैटर्न उम्र, पीड़ितों के निवास स्थान, उनकी भेद्यता और उनके परिवारों के अपराधियों के परिवारों के साथ काम करने के संबंध के आधार पर अलग अलग होते हैं। ये मानदंड एक साथ मिलकर ऐसी स्थि. तियाँ पैदा करते हैं जहां दलित लड़कियों का इन यौन शिकारियों द्वारा नियमित रूप से 'शिकार' किया जाता है। जाति आधारित यौन हिंसा के कुछ प्रमुख रूपों पर निम्नलिखित अनुभाग में विस्तार से चर्चा की गई है।

[10]AIDMAM-NCDHR (2018). Voices Against Caste Impunity, Narratives of Dalit Women in India. AIDMAM-NCDHR Publications

पीछा करना और यौन हमला

• बजरंग यादव (प्रमुख जाति) ने छत्तीसगढ़ के एक गाँव की 15 वर्षीय स्कूल जाने वाली दलित लड़की राशि पर उस समय हमला किया, जब उसे शौच के लिए खेत में जाना पड़ता थी। मौका मिलने पर उसने कई बार उसके साथ बलात्कार किया और किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बजरंग को पता था कि वह यौन शोषण और हिंसा से बच सकता है क्योंकि उसके समुदाय के पास गाँव में शक्ति और अधिकार था। इसलिए राशी विरोध नहीं कर सकती और या बलात्कार के बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। जब वह गर्भवती हुई तो उसे बजरंग को इसके बारे में बताना पड़ा और उसने उसे अपने चाचा की मदद से बच्चे का गर्भपात कराने के लिए राशी को मजबूर किया। तभी राशी ने हिम्मत जुटाई और अपने माता–पिता को बताया और उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने के लिए एक संगठन की मदद ली। बजरंग यादव के परिवार के सदस्य उसे शिकायत वापस लेने की धमकी देते रहते हैं, भले ही बजरंग सलाखों के पीछे है और जांच जारी है।बजरंग को मजबूत पारिवारिक और सामुदायिक समर्थन मिल रहा है और मामले को पलटने की कोशिश की जा रही है ताकि उसे अपराध से मुक्त किया जा सके। यह दलित लड़कियों पर इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए मजबूत सामाजिक स्वीकृति और स्थानीय प्रशासन द्वारा अपराधियों की रक्षा करने में प्रणालीगत विफलताओं की ओर इशारा करता है। चिकित्सा सबूत एकत्र करने में पहले ही देरी हो चुकी है क्योंकि FIR बलात्कार और गर्भावस्था की समाप्ति के कई दिनों बाद दर्ज की गई थी, जिससे सजा की

संभावना प्रभावित हो सकती है।

• छत्तीसगढ़ के एक गाँव योगेश यादव ने 15 वर्षीय स्कूल जाने वाली दलित लड़की रिया का पीछा किया। वह रोज स्कूल जाते वक्त रिया का पीछा करता था। एक दिन उसने उसका अपहरण कर लिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। वह उसे छत्तीसगढ़ से आगरा (उत्तर प्रदेश) ले गया, और अपने घर पर कई दिनों तक उसका शारीरिक और यौन शोषण किया। उसके माता–पिता ने रिया को जाति के आधार पर भी कई गालियाँ दी। जब वह अपने गांव वापस आई तो उसने और उसके माता–पिता ने एक एनजीओ की मदद से FIR दर्ज कराई। उसके गांव के लोगों ने पीड़िता के परिवार को समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश की लेकिन पीड़िता ने समझौता नहीं किया। योगेश फिलहाल जेल में है और उसकी सुनवाई चल रही है।

• एक अन्य मामले में हरियाणा के एक गांव में, एक प्रमुख जाति के 46 वर्षीय व्यक्ति ने 16 वर्षीय दलित लड़की रेखा को अपनी दुकान के अंदर आने पर मजबूर किया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसने उसका पीछा करना जारी रखा, उसे धमकी दी कि अगर उसने उसे यौन हिंसा नहीं करने दी तो वह उसे और उसके परिवार के सदस्यों को मार डालेगा। उसने अगले छह महीनों में उसके साथ कई बार बलात्कार किया। रेखा के परिवार को इस बात का पता तब चला जब वह गर्भवती हो गई। उन्हें एक गैर सरकारी संगठन द्वारा FIR दर्ज करने और अपराधी को सलाखों के पीछे डालने के लिए समर्थन दिया गया। उसने एक बच्चे को जन्म दिया और परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उसे गोद लेने के लिए छोड़ना पड़ा। फिलहाल मामला अदालतों में विचाराधीन है। इस बीच, उसे और उसके परिवार को अपराधी के खिलाफ मामला वापस लेने के लिए ग्राम पंचायत (स्थानीय शासन निकाय) से लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। रेखा को स्कूल जाना चाहिए था और अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन 16 साल की उम्र में उसे यौन हिंसा का शिकार होना पड़ा, एक बच्चा है और उसे इस आघात से बाहर आने और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए न्याय पाने के लिए निरंतर समर्थन की आवश्यकता है।

• इनिया तमिलनाडु के एक गांव की परियार जाति की 16 वर्षीय दलित लड़की है, जो स्कूल जाती है। अपराधी एक दबंग जाति का है जो पीड़िता को ***7*** महीने से परेशान कर रहा था, और उसे वापस प्यार करने के लिए कह रहा था, हालांकि इनिया ने कई बार मना किया था। उसने मना करने पर आत्महत्या करने की धमकी दी और फिर जब वह काम नहीं किया तो उसने उससे शादी करने का झूठा वादा किया, उसका अपहरण कर लिया और उसके घर के बाहर उसके साथ बलात्कार किया। इनिया के परिवार ने काफी फॉलो–अप के बाद FIR दर्ज की और सुनिश्चित किया कि उसे गिरफ्तार किया जाए। अपराधी के परिवार के सदस्य परिवार और इनिया को केस वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। सौभाग्य से एक एनजीओ द्वारा प्रदान की गई मदद ने मामले को आगे बढ़ाने में मदद की है और वह परामर्श प्राप्त कर रही है। इससे वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकी है। पीड़िता और उसके परिवार को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा।

ये मामले दलित लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा के माध्यम से प्रमुख जाति समूहों के भीतर गहरी जाति आधारित जहरीली मर्दानगी और उसके स्थायीकरण को दिखाता है। बजरंग, योगेश और ऐसे अन्य पुरुषों को शर्मिंदा करने और दंडित करने की आवश्यकता है लेकिन जातिगत भेदभाव राशी, रिया, रेखा और इनिया जैसी लड़कियों के लिए न्याय के लिए एक बाधा के रूप में काम करता है। समुदाय के अन्य घरों में ऐसी घटनाओं पर घोर सन्नाटा है और जाति आधारित यौन हिंसा के प्रति उदासीनता भयावह है।

अपहरण और यौन उत्पीड़न

• तमिलनाडु में कुरावर जाति की 14 वर्षीय दलित स्कूल की छात्रा शांति स्कूल से घर लौट रही थी, जब उसे एक दबंग जाति के एक युवक ने अगवा कर लिया, उसे जबरन दोपहिया वाहन पर अपने दोस्त के घर ले गया। वहां, उसने और दो अन्य लोगों ने उसे गालियाँ दी, उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया और फिर उसका शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया। घटना के बाद करीब एक महीने तक पीड़िता ने स्कूल जाना बंद कर दिया। स्थानीय सीएसओ से ट्रॉमा काउंसलिंग मिलने के बाद ही पीड़िता अपनी पढ़ाई जारी रख पाई।

• राखी राज बिहार के एक गांव में रहने वाली 16 साल की स्कूल जाने वाली दलित लड़की है। उनके क्षेत्र में दलित आमतौर पर यादवों के लिए उनके खेतों में मजदूर के रूप में काम करते हैं। यादव जाति के तीन आरोपी लोगों ने पिड़िता का अपहरण कर लिया, उसे दूसरे जिले में ले गए और कई बार उसके साथ बलात्कार किया। उसके परिवार ने बलात्कार के सात महीने बाद FIR दर्ज की क्योंकि आरोपी ने पीड़िता को बलात्कार के बारे में चुप रहने की धमकी दी थी; इसलिए वह अपने परिवार को इसके बारे में बताने से बहुत डर रही थी। परिवार पर समझौता करने का काफी दबाव है और आरोपी ने पीड़िता के जमानत पर छूटने के बाद फिर से रेप करने की धमकी भी दी। लेकिन पीड़िता और उसका परिवार न्याय के लिए जोर–शोर से डटे हुए हैं।

यौन हिंसा करने के लिए प्रेम का लालच और धमकियां

• कीर्तना एक 17 साल की स्कूल जाने वाली दलित लड़की है, जो तमिलनाडु के एक गाँव से है। शादी के झूठे वादे दे कर, अपराधी (जो एक प्रमुख जाति से था) कीर्तन का लगातार यौन शोषण कर रहा था। जब उसे उसकी गर्भावस्था के बारे में पता चला तो उसने उसे गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश की। साथ ही मामले को छुपाने के लिए पीड़िता को यह कहते हुए धमकाया कि ''अगर तुमने घटना के बारे में किसी को बताया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा.'' बलात्कार का पता तब चला जब पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वह गर्भवती पाई गई। जेल में बंद होने के बावजूद भी परिवार को आरोपी परिवार के सदस्यों से लगातार धमकी का सामना करना पड़ रहा है।

• नित्या तमिलनाडु के एक शहर में वल्लुवर जाति से एक 26 वर्षीय कॉलेज जाने वाली दलित छात्रा है। नित्या कुछ वर्षों से कुयावर जाति के एक लड़के के साथ रोमांटिक रिश्ते में थी। उनका रिश्ता संभोग में बदल गया जब अपराधी ने उससे वादा किया कि वह उससे शादी करेगा। शादी का झांसा देकर उसने कई बार उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपनी ही जाति की दूसरी लड़की से शादी कर ली। हर जगह दौड़ने और एक एनजीओ की मदद से ही नित्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा पाई। उसके द्वारा दर्ज किए गए मामले की प्रगति के साथ–साथ आघात से उबरने के लिए उसकी काउंसलिंग और उपचार भी किया जा रहा है। आरोपी के परिवार वाले उसे धमका रहे हैं और समझौता करने के लिए धमकी दे रहे हैं। नित्या के लिए इससे अपने मामले को आगे बढ़ाने और न्याय पाने में और भी चुनौतियाँ जुड़ गयीं हैं।

• 27 वर्षीय दलित स्कूल की शिक्षिका सुहंती का तमिलनाडु की एक प्रभावशाली जाति वनीबा चेट्टियार जाति के एक साथी शिक्षक के साथ घनिष्ठ संबंध था। यौन हिंसा का अपराधी उसका प्रेमी था जिसने

शादी का झूठा वादा करके उसके साथ बलात्कार किया। उसने उसके मासिक वेतन और कीमती आभूषणों से पैसे भी लिए। फिर उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और सुहंती को यह कहते हुए गाली दी कि "मेरी जाति और परिवार की पवित्रता नष्ट हो जाएगी"। उसने अपने समुदाय की दूसरी महिला से शादी कर ली। पुलिस ने FIR दर्ज करने में तीन महीने की देरी की और FIR दर्ज करने के बजाय आरोपी से उसकी शादी की व्यवस्था करने की भी कोशिश की। मामले को निपटाने के लिए आरोपी व उसके परिवार के साथ–साथ सुहंती के अपने परिवार की ओर से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोपी की मां ने कथित तौर पर पीड़िता को उसकी जाति के नाम से अपमानजनक तरीके से यह कहते हुए गाली दी कि "तुम निचली जाति की वेश्या हो। तुम किस समुदाय से हो और हम किस समुदाय से हैं? क्या तुममें मेरे बेटे से शादी करने की योग्यता है? हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, बस यहां से भाग जाओ।" जबकि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिन्होंने सुहंती के खिलाफ जातिवादी गालियों का इस्तेमाल किया, उसे धमकी दी और घटना के बाद उसे एस्बेस्टस शीट से मारा। इस सब के बावजूद सुहंती को लगता है कि न्याय मिलेगा और वह बहादुरी से केस लड़ती रही है।

• मध्य प्रदेश के एक शहर की 16 वर्षीय दलित स्कूल की छात्रा रीना का एक दबंग जाति के लड़के सागर के साथ प्रेम संबंध था। एक दिन रात करीब साढ़े दस बजे रीना के बॉयफ्रेंड ने उसे फोन किया और उससे मिलने के लिए अपने घर आने को कहा। उसने एक दोस्त को सूचित किया और उसके घर चली गई। जब वह वहां पहुंची तो उसे सागर के अलावा 5 अन्य लड़के उसके घर पर मौजूद मिले। उसने सागर से कहा कि वह उनकी उपस्थिति में असहज महसूस कर रही थी इसलिए उसने उन सभी को जाने के लिए कहा। कुछ देर बाद वह उसे एक कमरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर उसने उसके सिर पर वार कर दिया। सिर पर चोट लगने के कारण रीना बेहोश हो गई और होश में आने पर उसने अस्पताल में खुद को लकवा की स्थिति में पाया। घर के आँगन में बेहोशी की हालत में पाए जाने पर उसके परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए थे। अस्पताल में 22 दिनों के बाद, उसने अपने परिवार के साथ घटना का विवरण दिया। एक एनजीओ की मदद से और काफी दबाव के बाद आखिरकार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। पीड़िता और उसके परिवार को अपराधी के बड़े भाई से समझौता करने, और FIR वापस लेने के लिए धमकी और दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

• मानसी शेंडे दलित समुदाय से हैं और महाराष्ट्र के एक शहर में रहती हैं। वह 25 साल की कॉलेज जाने वाली छात्रा है। अपराधी और पिड़िता कुछ वर्षों से रोमांटिक रिश्ते में थे। दबंग जाति से ताल्लुक रखने वाला अपराधी शुरू में मानसी से शादी के लिए राजी हो गया था, लेकिन जब उसने शादी के लिए जोर देना शुरू किया तो वह कन्नी काटने लगा। आखिरकार उसने उसकी जाति के आधार पर उससे शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपी ने कुछ तस्वीरों के साथ उसे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने साथ में क्लिक किया था। यहां तक कि उसने उसे जहर खाने के लिए मजबूर कर जान से मारने की भी कोशिश की। कुछ महीनों के बाद, जब उसने उससे दोबारा मिलने या रिश्ते को जारी रखने से इनकार कर दिया, तो उसने उसे ब्लैकमेल करने के लिए ली गई तस्वीरों का उपयोग करके उससे संपर्क करने का प्रयास किया। इसके बाद मानसी ने शिकायत की। शुरू में पुलिस शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं थी क्योंकि आरोपी एक दबंग जाति के परिवार से था। आखिरकार पीड़िता और अन्य गैर सरकारी संगठनों के दबाव के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज की।

जाति आधारित यौन हिंसा के लिए टेक्नॉलॉजी का उपयोग

अध्ययन में दिखाया गया है कि कैसे सोशल मीडिया और टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल प्रमुख जाति के पुरुषों और लड़कों द्वारा दलित महिलाओं और लड़कियों पर बार–बार हमला करने के लिए किया जा रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया टूल सूचनाओं को फैलाने और लोगों को अपने आसपास की घटनाओं के बारे में जागरूक करने के प्रभावी तरीके हैं। लेकिन यह उपकरण दलित लड़कियों और महिलाओं के जीवन में एक अभिशाप बन गया है क्योंकि यही उपकरण जो उन्हें मुक्ति दिलाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए हैं, उन्हें चुप कराने के लिए धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए, टेक्नॉलॉजी और सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि संदेश और गलत सूचना फैलाने के लिए इसका उपयोग कौन कर रहा है। इस मामले में, प्रभावशाली जाति के हिंसक पुरुषों ने, उन हमलों को रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिन्हें वे पीड़ितों के सभी विरोधों को शांत करने के साधन के रूप में जारी रखते हैं। यह लड़कियों और महिलाओं को अधिक असुरक्षित बनाता है और अक्सर वे प्रतिशोध के डर से अपने परिवार के साथ अपने आघात को साझा नही करती हैं।

• हेमा (16 साल), करुणा (17 साल) और गीता (14 साल) दलित लड़कियां हैं, जो गुजरात के एक गांव में रहती हैं। तीनों बहनें हैं और उनकी मां अपराधियों के खेत में काम करती हैं। चारों अपराधी ओबीसी जाति के हैं। उन्होंने स्कूल के परिसर और गांव के पुस्तकालय में तीन लड़कियों के साथ डेढ़ साल

तक बलात्कार किया। पहली बार में ही, उन्होंने अपने जघन्य हमले को रिकॉर्ड करने के लिए एक मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, पीड़िताओं को धमकाया और उन्हें हमले के बारे में चुप रहने के लिए मजबूर किया। दलितों के साथ काम करने वाले एक एनजीओ ने उन्हें और उनके परिवार को FIR दर्ज करने में सक्षम बनाया और तीन अलग–अलग FIR दर्ज की गईं, जबकि परिवार चारों आरोपियों के खिलाफ एक ही FIR चाहता था। फिलहाल मामले का मुख्य आरोपी फरार हो गए थे, जिनमे से एक को पुलिस ने पकड़ लिया है और दूसरे की तलाश जारी है.

• शर्मिला उत्तराखंड के शहरी इलाके की रहने वाली हैं। वह 16 साल की दलित छात्रा है और सामाजिक मुद्दों पर बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। कमल, एक राजपूत, एक प्रमुख जाति का लड़का और उसके दोस्त ने उसे अपनी दोस्त पूजा से मिलवाने के बहाने एकांत स्थान पर आने के लिए कहा। जब वे वहाँ पर पहुंचे, तो उसने शर्मिला का अश्लील वीडियो लेना चाहा, और जब उसने मना कर दिया, तो उसने उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की धमकी दी और उसे बुरी तरह पीटा। यह सब करते हुए पूजा कमल की सारी हरकतें देखती रही। पीड़िता बेहोश हो गई और उसे मरा समझकर कमल और पूजा ने उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। बाद में, पीड़िता को एक राहगीर ने देखा, जिसने पुलिस को फोन किया और उसके लिए एम्बुलेंस बुलवायी गयी। अगले दिन होश में आने के बाद पीड़िता ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। शर्मिला और उसके परिवार पर समझौता करने का जबरदस्त दबाव था और पैसे भी देने की कोशिश की गयी।

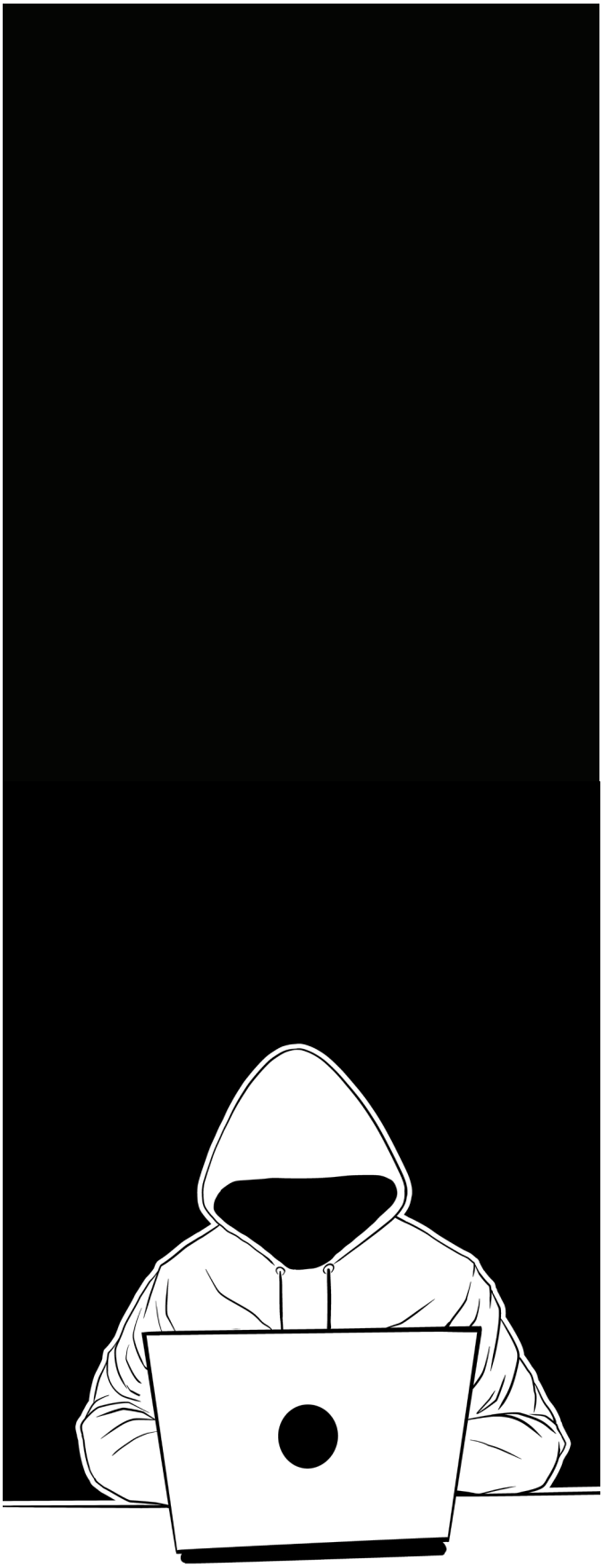

जाति और धर्म पर आधारित यौन हिंसा

• 14 साल की सलमा मुस्लिम दलित समुदाय से थीं। वह एक स्कूल जाने वाली लड़की थी और एक दिन यादव जाति के प्रभावशाली समुदाय के पांच लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था। उसे दूसरे शहर ले जाया गया और दो दिनों तक उसका बलात्कार किया गया और बलात्कार की हिंसा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव उसके घर के पास के खेतों में फेंक दिया गया था, जहां उसके परिवार के सदस्यों ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। माता–पिता ने एक एनजीओ की मदद से काफी मशक्कत के बाद FIR दर्ज कराई और अब सभी आरोपी जेल में हैं। उन पर आरोपियों के साथ–साथ गांव के अन्य हिंदू प्रभुत्वशाली जाति के परिवारों द्वारा मामला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि, परिवार अब तक दबाव के आगे नहीं झुका है। जिस तरह से सलमा को यौन हिंसा का शिकार बनाया गया, वह क्षेत्र में हिंदू–मुस्लिम दुश्मनी और संघर्ष से भी जुड़ा हुआ है। सलमा एक मुस्लिम लड़की के रूप में अपनी पहचान का शिकार हो गई।

• 10 वर्षीय स्कूली छात्रा रेहाना, जो एक मुस्लिम दलित भी है, अपनी दादी के लिए दवाइयाँ खरीदने जा रही थी। दो अपराधियों, दोनों प्रमुख जाति के हिंदू यादव पुरुषों ने उसे रोका और कहा कि उसके पिता उसे घर वापस बुला रहे हैं। इसके बाद, उन्होंने उसका अपहरण कर लिया और उसे जबरदस्ती एक सुनसान भूखंड (प्लॉट) पर ले गए जहां उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। एक आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया, जबकि दूसरा उसे पीटता रहा। अंत में, उन्होंने एक ब्लेड निकाला और उसकी गर्दन काट दी। खून की कमी के कारण पीड़िता बेहोश हो गई। यह मानकर कि वह मर गई है, अपराधियों ने उसे कुछ झाड़ियों में खींच लिया और उसे वहीं लेटा छोड़ दिया।

छोटी बच्चियों और बच्चों को भी नहीं बख्शा

• सईली उत्तर प्रदेश के गोंड समुदाय के एक गांव में रहने वाली 6 साल की दलित स्कूल जाने वाली लड़की है। उसे पास के एक गांव के तीन लड़कों ने अगवा कर लिया और उसे उसके घर के बाहर से पास के एक पुल पर ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। वह बाद में करीब आधी रात को घर की ओर जाती हुई, रोती हुई और खून से लथपथ पाई गई। जब पीड़िता को जांच के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, तो बिना उसकी जांच किए उन्होंने उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। इस अस्पताल में एक स्थानीय विधायक के हस्तक्षेप से यह सुनिश्चित हुआ कि उसे भर्ती कराया जाए और उसका ठीक से इलाज हो। परिवार संकट में है क्योंकि असली आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसे न्याय नहीं मिला है।

• गुड़िया सपेरा जाति की एक 5 वर्षीय दलित बच्ची थी, जो अपने माता–पिता के साथ रहती थी, जो हरियाणा के एक गाँव में प्रवासी श्रमिक हैं। एक सुबह गुड़िया की माँ उठी तो उसने देखा कि गुड़िया गायब है। उसकी तलाश में पड़ोसी की सहायता से मां को गुड़िया की लाश मिली– उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। अपराधी दबंग जाति का पड़ोसी था। शव बरामद होने के पांच दिनों तक, अधिकारी शोक संतप्त परिवार को यह बताने में विफल रहे कि गुड़िया को कहाँ ले जाया गया था। उन्हें पुलिस या किसी अन्य सरकारी संस्थान से कोई समर्थन नहीं मिला, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जब तक कि एक गैर सरकारी संगठन द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया, जिसने सुनिश्चित किया कि पी.ओ.ए

अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई जाए और परिवार को उसकी एक प्रति दी जाए। इस बीच पंचायत ने उन पर समझौता करने का दबाव डाला क्योंकि वे प्रवासी थे और आरोपी गांव का था। हालांकि, नौ महीने के भीतर, अपराधी को अदालत ने दोषी पाया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। निर्णय और कार्रवाई के बावजूद, गुड़िया के परिवार को प्रभावशाली जाति समुदाय के सदस्यों से इतनी गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा कि उन्हें अपने गांव से जाने के लिए मजबूर किया गया।

• देवी एक 7 वर्षीय दलित लड़की थी जो तमिलनाडु के एक शहर में रहती थी। एक प्रभावशाली जाति के एक स्थानीय फूल विक्रेता ने इस तथ्य का फायदा उठाया कि उसके पिता एक शराबी थे। जब देवी खुशी–खुशी अपने घर के बाहर खेल रही थी, क्योंकि उसका परिवार रिश्तेदारों के घर में व्यस्त था, उसने उसे बाहर से उठा लिया, और उसका यौन उत्पीड़न किया। उसके पिता और माँ ने देखा कि देवी घर के बाहर नहीं खेल रही है। उन्होंने पहले सोचा कि वह शायद पड़ोस में भटक गई है इसलिए उन्होंने उसके घर लौटने का इंतजार किया। घंटों बीत गए और फिर भी देवी घर नहीं लौटी और तभी परिवार को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में सुबह करीब 8:00 बजे शिकायत दर्ज की और कुछ घंटों की खोज के बाद एक भयानक खोज हुई। देवी का शव पड़ोस में एक दलदल में मिला था। उसे वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था और चीटियां और कीड़े उसे खाने लगे थे। आरोपियों की हरकतों की जानकारी होने पर उन्होंने FIR दर्ज करायी। आरोपी के परिजन पीड़ित परिवार को लगातार धमका रहे हैं और केस वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

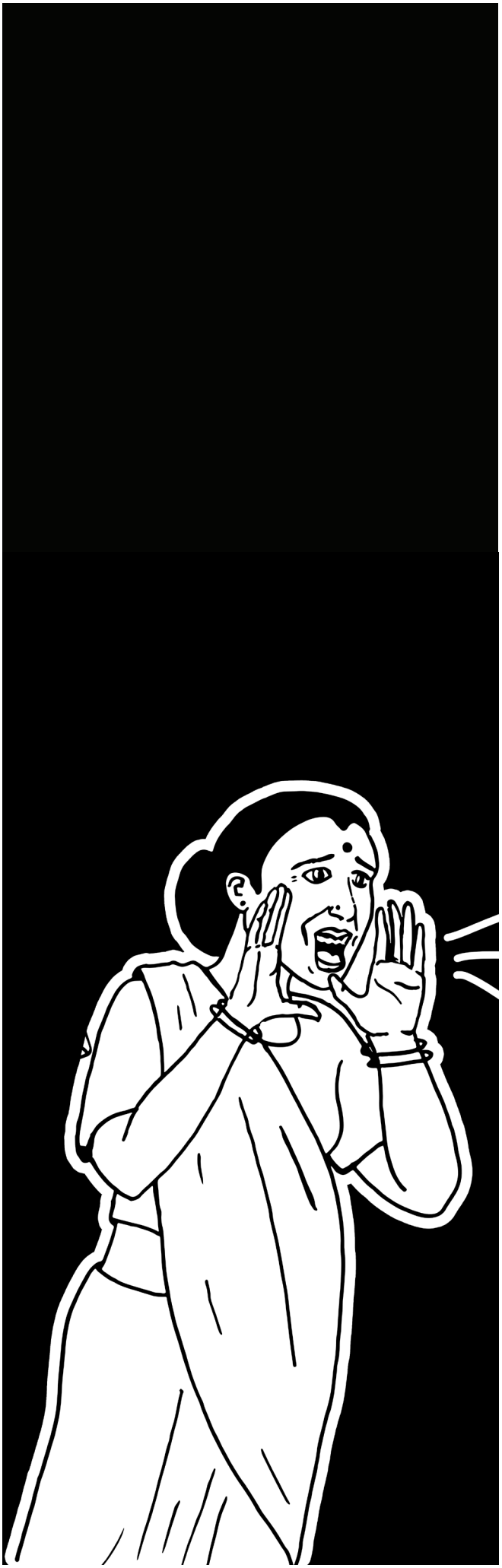

जब रक्षक हमलावर बन जाते हैं: ना घर में सुरक्षित ना अनाथालय में

• शीला एक 15 वर्षीय दलित स्कूल जाने वाली लड़की है जो उत्तर प्रदेश के एक गाँव में रहती है। वह अपने चाचा के साथ खाना बनाने और घर के काम करने के लिए रहती थी क्योंकि उसके माता–पिता दोनों का निधन हो गया था। मारपीट की धमकी देकर चाचा ने डेढ़ साल तक उसका यौन शोषण किया। वह अंततः गर्भवती हो गई और इस तरह उसकी दादी और अन्य ग्रामीणों को उसके यौन उत्पीड़न के बारे में पता चला, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। आरोपी जेल में है, लेकिन दादा–दादी उसकी रिहाई चाहते हैं क्योंकि वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है

• भुवनेश्वरी ओडिशा में अम्बेडकर सेवा आश्रम नामक एक आश्रम में रहने वाली एक 12 वर्षीय अनाथ दलित लड़की थी। वह आश्रम में लटकी हुई पाई गई। परिवार का मानना है कि यह बलात्कार और सुनियोजित हत्या का मामला है, हालांकि अधिकारी इसे आत्महत्या मान रहे हैं। उन्हें डर है कि अपराधी उस आश्रम (अनाथालय) का मुखिया (ब्राह्मण) था, जिसमें भुवनेश्वरी मृत पाई गई थी। अभी तक यह मामला न्याय प्रणाली में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है

काम के आधार पर शोषण और जाति आधारित यौन हिंसा

• रीना (22 वर्ष) और रोशनी (25 वर्ष) दलित महिलाएं हैं जो हरियाणा के एक गांव में रहती हैं। वे गांव के प्रमुख सिख समुदाय के खेतों में खेतिहर मजदूर के रूप में काम करती थी। वे छह अन्य लड़कियों के साथ लकड़ी लेने गयी थी। उनका सामना सिख समुदाय के दो लोगों से हुआ, जिनमें से एक जमींदार था। उसने समूह के साथ एक युवा लड़की के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, उसको पकड़कर उसके शरीर पर खुद को रगड़ना शुरू कर दिया। वह विरोध में चिल्लाई और रीना, रौशनी और अन्य महिलाएं उसकी सहायता के लिए दौड़ीं। हमलावर ने अपने मोबाइल फोन पर अन्य लोगों को आने के लिए बुलाया और जल्द ही चार पुरुषों का एक गिरोह लाठी–डंडों के साथ पहुंचा और महिलाओं और लड़कियों को पीटना शुरू कर दिया। कुछ भागने में सफल रहीं और मदद की तलाश में भाग गयीं लेकिन रीना और रोशनी को उनके हमलावरों ने पकड़ लिया। पांच लोगों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया और इतनी बुरी तरह पीटा कि जब तक मदद पहुंची तब तक महिलाएं बेहोश हो चुकी थीं। हालांकि एक एनजीओ की मदद से तुरंत FIR दर्ज की गई थी, लेकिन मामले से समझौता किया गया था क्योंकि अपराधियों के लिए निर्धारित डीएनए टेस्ट को बदल दिया गया, इसलिए सबूत कमजोर हो गए। रीना, रौशनी और उनके परिवारों को स्थानीय सिख समुदाय से हिंसा की धमकियों का सामना करना पड़ा। महिलाओं को चेतावनी दी गई थी अगर वे अपराधियों के खिलाफ शिकायत करती रहीं तो उन्हें गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। अंत में, भारी विरोध का सामना करना पड़ा और गरीबी से जूझते हुए, रीना और रोशनी को अंततः कानूनी मामले से समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नतीजतन, 2019 में निचली अदालत ने मामले को खारिज कर दिया।

• रेणु पासवान, एक 35 वर्षीय दलित महिला है जो घरेलू कामगार के रूप में काम करती है। रेणु के गांव में, यादव बड़ी संख्या में हैं और दलित आमतौर पर यादवों के लिए उनके खेतों में मजदूर के रूप में काम करते हैं। प्रमुख यादव जाति का अपराधी एक दिन रेणु के घर आया और उसका शारीरिक शोषण किया, उसके कपड़े फाड़े; और उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के घरों के लोगों ने आकर उसे छुड़ाया। FIR दर्ज करते समय रेणु को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने FIR में बलात्कार के प्रयास को शामिल करने से इनकार कर दिया और केवल शारीरिक हमले को नोट किया। आरोपी पीड़िता के घर के पास रहता है, लगातार उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाता है और उसके पिता को जान से मारने की धमकी दे रहा है. वह अब जमानत पर बाहर हैं।

•गरिमा देवी राजस्थान के एक गांव की 25 वर्षीय दलित महिला हैं। वह अपराधी (जाट, प्रभुत्वशाली जाति) के घर उनसे अतिरिक्त छाछ लेने गई थी। उसके साथ परिवार के तीन सदस्यों ने सामूहिक बलात्कार किया। उसकी योनि में एक बोतल भी डाली गई। गरिमा को उनके परिवार के सदस्यों ने सड़क पर बेहोश पाया और फिर अस्पताल ले जाया गया। पीड़िता की हालत गंभीर थी और इस वजह से उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज शुरू हो गया.

ये सभी मामले जाति–आधारित यौन हिंसा के विभिन्न रूपों और जाति–आधारित विषाक्त पुरुषत्व की गहरी उपस्थिति को दिखाते हैं। यौन हिंसा के इन रूपों की स्वीकृति और निरंतरता, प्रभुत्वशाली जाति समूहों के परिवारों से शुरू होने वाले शक्तिशाली रिश्तेदारी नेटवर्क से आती है। ये नेटवर्क स्थानीय शासन के साथ–साथ पुलिस और कानूनी प्रणालियों के भीतर तक फैले हुए हैं। सभी लड़कियों और महिलाओं को उनके जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा, अभिव्यक्ति और आंदोलन के अधिकार सहित लगभग सभी मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है क्योंकि वे दलित लड़कियां हैं और गांवों और शहरों की परिधि में रहने वाले एक गरीब और शक्तिहीन परिवार से हैं। सभी महत्वपूर्ण अफ़सर जो उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, वे अपनी जिम्मेदारियों में विफल रहे हैं।

मजबूत गैर सरकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं, कुछ सहानुभूति रखने वाले वकीलों और न्यायपालिका के कुछ सदस्यों – जिन्होंने कुछ पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की कोशिश की है, उनकी मौजूदगी ही उम्मीद की किरण बनी हुई है।

न्याय तक पहुँचने के लिए प्रणालीगत बाधाएं

संस्थागत जातिवाद और पितृसत्ता

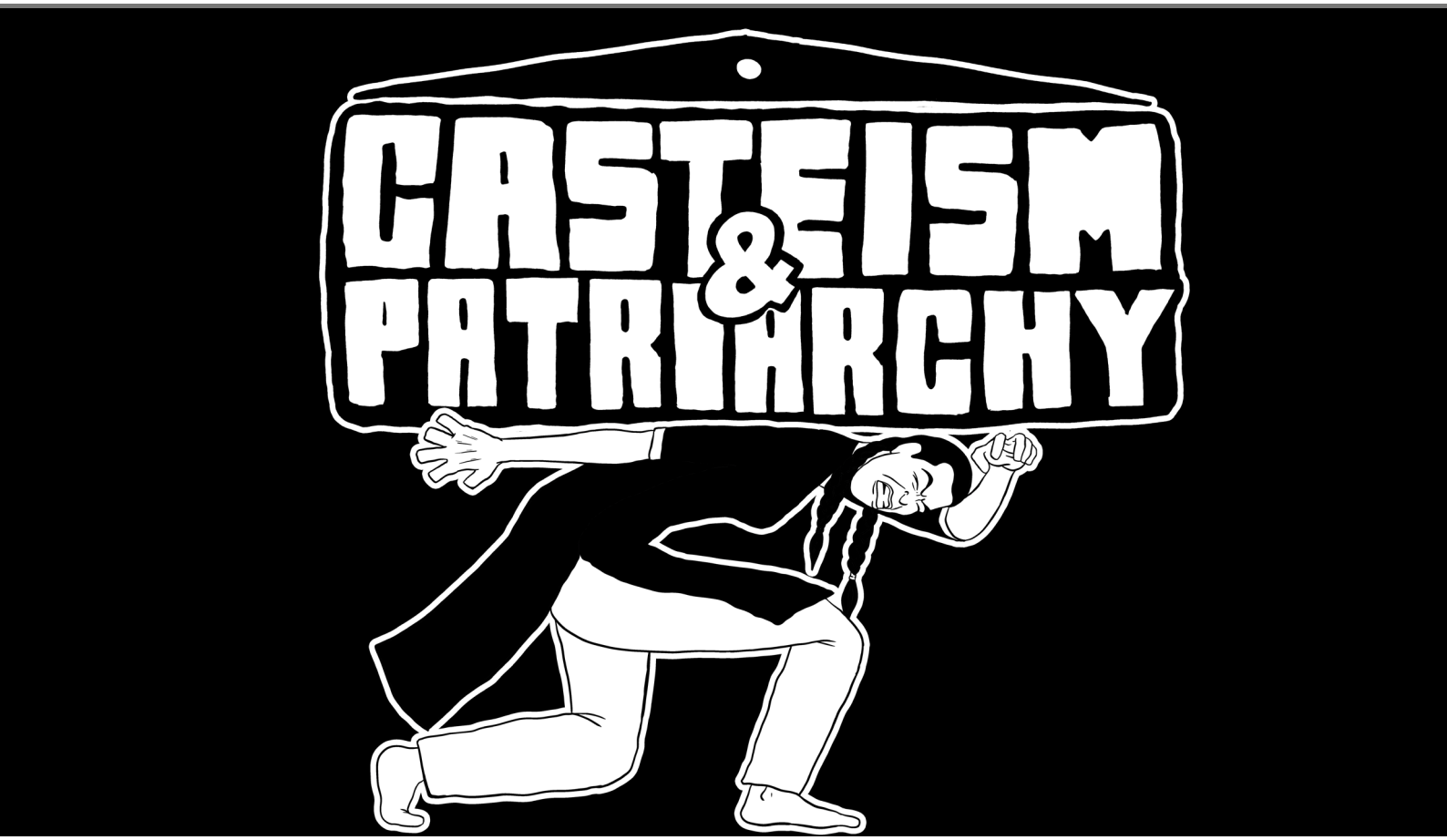

राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान (एनसीडीएचआर) द्वारा 2006 में 4 भारतीय राज्यों में हिंसा के 500 दलित महिलाओं के अनुभवों का 'दलित महिला स्पीक आउट' शीर्षक से एक अध्ययन आयोजित किया गया था। इसमें पाया गया कि अध्ययन किए गए हिंसा के 500 मामलों में से केवल 3 मामलों में ही दोष सिद्ध हुए, यानी हिंसा के कुल मामलों के 1% से भी कम। शेष मामलों में, दलित महिलाएं विभिन्न कारणों से हिंसा के निदान तक पहुंचने में असमर्थ थीं, जिसमें बलात्कार के मामलों से जुड़ी चुप्पी और कलंक की प्रचलित संस्कृति शामिल थी, जो उन्हें मामलों, अपराधियों और उनके समर्थकों और समुदाय की कार्रवाई की रिपोर्ट करने से रोकती थी।[11]

इस मौलिक अध्ययन के पंद्रह साल बाद, जाति आधारित यौन हिंसा के मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनी और नीतिगत माहौल में काफ़ी बदलाव आया है। बलात्कार की महामारी के खिलाफ व्यापक सार्वजनिक विरोध के परिणामस्वरूप बलात्कार पर कानूनों में कई बदलाव हुए, जिसमें बलात्कार की परिभाषा का विस्तार, अधिक कठोर दंड की शुरूआत, और न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से साक्ष्य और प्रक्रियात्मक कानूनों में संशोधन शामिल हैं।[12]निर्भया कोष की स्थापना यौन हिंसा की रोकथाम और निवारण के लिए संसाधन बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी, और मुआवजे और पीड़ित और गवाहों की

[11]National Campaign on Dalit Human Rights, Dalit Women Speak Out: Violence Against Dalit Women in India (2006), available at https://idsn.org/uploads/media/Violence_against_Dalit_Woment.pdf

[12]See Criminal Law (Amendment) Act, 2013; Criminal Law (Amendment) Act, 2018

सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय योजनाओं को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।

विशेष रूप से दलित महिलाओं और लड़कियों के संबंध में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2014 में दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ कुछ अपराधों पर अलग–अलग डेटा प्रकाशित करना शुरू किया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम) में जाति आधारित अत्याचारों की एक विस्तृत सूची शामिल करने के लिए 2015 में संशोधन किया गया था, जिसमें यौन उत्पीड़न और अनुसूचित जाति की महिला के खिलाफ उसकी जाति पहचान के ज्ञान के साथ हमला शामिल है। 2015 के संशोधन अधिनियम में राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने की भी आवश्यकता है। 2020 में हाथरस गैंगरेप केस और 2021 में दिल्ली कैंट रेप केस, दोनों जाति–आधारित यौन हिंसा के अपराधों ने भी व्यापक जनता का ध्यान आकर्षित किया और जाति–आधारित यौन हिंसा के मुद्दे को राष्ट्रीय सुर्खियों में लाया।

यद्यपि यौन हिंसा से बचे लोगों के लिए न्याय तक पहुंच में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि 2006 में दलित महिला स्पीक आउट रिपोर्ट में पहचाने गए कई मुद्दे, जो दलित महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच को बाधित करते थे, अभी भी हैं। इन अत्याचारों की जाति–आधारित प्रकृति अभी भी जनता, सरकारी अधिकारियों और अदालतों द्वारा अदृश्य की जा रही है। [13]आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रणालीगत जातिवाद और पितृसत्ता को भी पर्याप्त रूप से स्वीकार और संबोधित नहीं किया गया है। पुलिस, चिकित्सा अधिकारी, अभियोजक और न्यायाधीश का जाति आधारित दृष्टिकोण और समुदाय से भेदभाव, सभी दलित महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच में बाधा डालते हैं। इन संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने में विफलता का मतलब है कि कानूनी और प्रक्रियात्मक सुधारों में प्रगति हमेशा दलित महिलाओं और लड़कियों की रक्षा करने और जाति आधारित यौन हिंसा के मामलों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में वास्तविक प्रभाव में अनुवादित नहीं हुई है।

भारत की न्याय प्रणाली में प्रणालीगत जातिवाद और पितृसत्ता, न्याय प्रणाली के अधिकारियों के भीतर जाति और लिंग विविधता न होने के कारण, और भी तीव्र हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर, औसतन केवल 10% पुलिस बल महिलाओं से बना है। [14]बिहार और हिमाचल प्रदेश में महिला पुलिस अधिकारियों का अनुपात सबसे अधिक है (क्रमशः 25.3% और 19.2%)। जाति विविधता के संबंध में, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए पुलिस बल में एक आरक्षित कोटा है। हालाँकि, केवल 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने एससी कांस्टेबल कोटे को पूरा करते हैं। [15]इस रिपोर्ट में शामिल तेरह राज्यों में से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति पुलिस कांस्टेबलों के लिए अपने स्वयं के आरक्षण कोटा को पूरा करने के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आरक्षित पदों में से केवल 56% और 59% ही भरे गए हैं।[16]

न्यायपालिका के संबंध में, देश भर के उच्च न्यायालयों में केवल 13% न्यायाधीश महिलाएं हैं, जबकि निचले न्यायालयों में केवल 30% न्यायाधीश महिलाएं हैं। [17]आजादी के बाद से, सर्वोच्च न्यायालय में केवल छह दलित न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, जिनमें से केवल एक दलित मुख्य न्यायाधीश ने आज तक पद संभाला है। [18]हालांकि उच्च न्यायालयों और निचली न्यायपालिका में

[13]See Also National Council of Women Leaders, Landmark Cases of Caste-based Sexual Violence from 1985 - 2020, 14 September 2021, https://www.ncwl.org.in/campaigns/end-caste-based-sexual-violence/landmark-cases-of-caste-based-sexual-violence-in-india/
[14]Tata Trusts, India Justice Report: Ranking states on police, judiciary, prisons and legal aid, January 2021, p. 30. https://www.tatatrusts.org/insights/survey-reports/india-justice-report
[15]Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli, Karnataka, Gujarat, Manipur, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh
[16]Tata Trusts, India Justice Report: Ranking states on police, judiciary, prisons and legal aid, January 2021, https://www.tatatrusts.org/insights/survey-reports/india-justice-report
[17]Ibid.
[18]American Bar Association, Challenges for Dalits in South Asia's Legal Community, Chapter III: Dalit Justice Defenders in India, October 2021,

दलित न्यायाधीशों के प्रतिनिधित्व पर कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा नहीं है, लेकिन संसदीय समितियों, आयोगों और उच्च–स्तरीय सरकारी अधिकारियों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि न्याय प्रणाली में जाति विविधता की भारी कमी है, जिसे तत्काल संबोधित करने की जरूरत है।

न्यायिक प्रणाली में जाति और लिंग विविधता की कमी और न्याय प्रणाली के अधिकारियों के साथ–साथ लागू प्रक्रियाओं में प्रचलित जातिवाद और पितृसत्ता के संस्थागत और निहित रूप, सभी यौन हिंसा के दलित पीड़िताओं के लिए प्रभावी अन्याय में योगदान करते हैं। अध्ययन किए गए 50 मामलों में दलित महिलाओं और लड़कियों को न्याय तक पहुंचने में विशिष्ट बाधाओं पर नीचे प्रकाश डाला गया है।

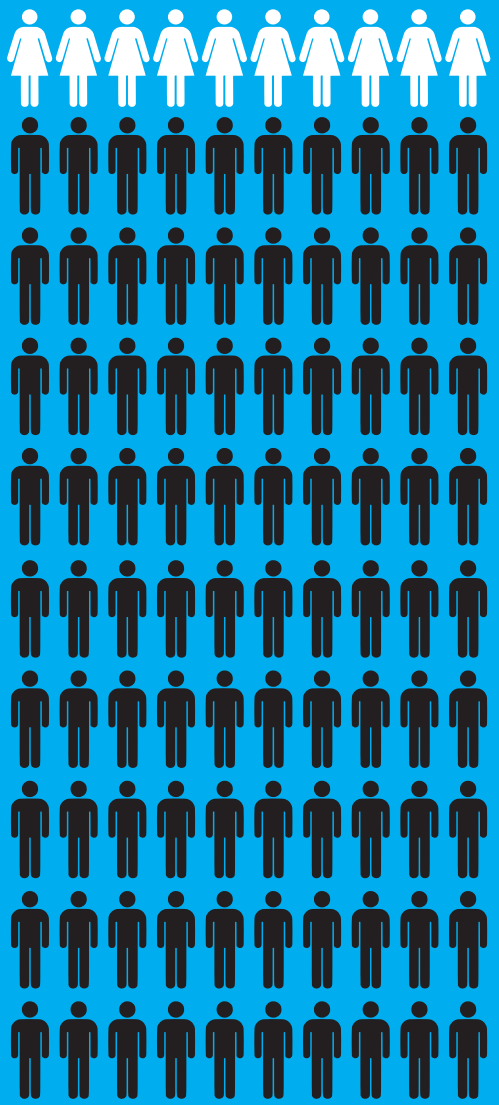

रिपोर्टिंग और पुलिस जांच के दौरान आने वाली कठिनाइयाँ

बलात्कार के मामलों में पुलिस को FIR दर्ज कराने में यौन हिंसा की पीड़िताओं या उनके परिवारों को होने वाली कठिनाइयों को व्यापक रूप से प्रलेखित किया गया है, विशेष रूप से यौन हिंसा की दलित पीड़िताओं के लिए। [19] इस मुद्दे की व्यापक प्रकृति ने भारत सरकार को 2013 में कानून में संशोधन करने के लिए विशेष रूप से उन पुलिस अधिकारियों के लिए आपराधिक दंड शामिल करने के लिए प्रेरित किया जो बलात्कार के मामलों में FIR दर्ज करने में विफल रहते हैं। [20] हालांकि, कानून में इस संशोधन के बावजूद, पुलिस अभी भी कई बलात्कार के मामलों में FIR दर्ज करने में विफल रहती है। रिपोर्टिंग और जांच प्रक्रिया के दौरान दलित पीड़ितों के परिवारों द्वारा सामना किए गए कुछ मुद्दों की नीचे चर्चा की गई है।

बलात्कार के लिए FIR दर्ज करने से इंकार

अध्ययन किए गए 50 मामलों में से एक मामले में, सरपंच (जो आरोपी के चाचा थे) सहित आरोपी और उसके परिवार के लगातार दबाव और धमकियों के कारण कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस पीड़ित परिवार का समर्थन करने में विफल रही। परिवार को संदेह है कि पुलिस ने आरोपी के साथ मिलीभगत

[19] All India Dalit Mahila Adhikar Manch (AIDMAM)-NCDHR, Dalit Women Rise for Justice, March 2021, http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2021/04/Dalit-Women-Rise-For-Justice-Status-Report-2021.pdf; Equality Now & Swabhiman Society, Justice Denied: Sexual Violence and Intersectional Discrimination - Barriers to Accessing Justice for Dalit women and girls in Haryana, India, November 2020, https://www.equalitynow.org/justicedenied.

[20] Section 166-A, Indian Penal Code, as introduced by the Criminal Law (Amendment) Act, 2013.

की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

अन्य सात मामलों में (अर्थात अध्ययन किए गए 14 प्रतिशत मामले), FIR दर्ज होने के बावजूद, FIR में बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का अपराध शामिल नहीं था, जबकि पिड़िता ने इसके विपरीत बताया; या ऐसे मामलों में जहां पीड़िता की मृत्यु हो गई हो, लेकिन परिवार को इस आधार पर की जननांगों पर चोटें हैं इस बात पर विश्वास है की पिड़िता के साथ बलात्कार हुआ था।

केस स्टडी : उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम समुदाय की 17 वर्षीय लड़की शाजिया का अपहरण कर लिया गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसे छुड़ाए जाने से पहले लगभग चार दिनों तक उसे रखा गया। बलात्कारियों में से एक की पहचान पिड़िता ने एक पुलिसकर्मी के रूप में की। नतीजतन, पिड़िता का कहना है कि पुलिस को बलात्कार की घटना के बारे में सारी जानकारी देने के बावजूद, पुलिस अधिकारियों ने उस पर अपना बयान बदलने का दबाव डाला और यहां तक कि एक महिला पुलिस अधिकारी ने उसे शारीरिक रूप से पीटा भी। पुलिस ने तब पिड़िता को एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और केवल अपहरण के लिए एक FIR दर्ज की, जिसमें कहा गया है कि मुख्य आरोपी के साथ पिड़िता भाग गयी (उस पुलिस अधिकारी का नाम भी FIR से हटा दिया गया जिसने पिड़िता के साथ बलात्कार किया) जब पिड़िता को चिकित्सा परीक्षण के लिए ले जाया गया, तो पुलिस ने उसे बताया कि आंतरिक योनि परीक्षा आवश्यक नहीं है और एक पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया जिसमें लिखा था की उसने आंतरिक परीक्षा से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट में "आंतरिक परीक्षा से इनकार कर दिया गया और बलात्कार की पुष्टि नहीं करता है" लिखा हुआ है। रेप के मामले में आज तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है।

एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत मामले दर्ज करने में कठिनाइयाँ

जिन मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) लागू थी और इस बिंदु पर जानकारी उपलब्ध थी, 15% मामलों में (अर्थात 46 मामलों में से 7) पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रावधानों को शामिल करने में विफलता थी। हालांकि, उन मामलों में भी जहां एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई थी, लगभग सभी मामलों में, यह केवल पिड़िता या उसके परिवार के अनुरोध के आधार पर किया गया था; या दलित कार्यकर्ताओं और सीएसओ के दबाव के कारण। कई मामलों में, बाद में कार्यकर्ताओं और पिड़िता या उसके परिवार द्वारा निरंतर वकालत के बाद एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम की धाराओं को शामिल करने के लिए FIR में संशोधन किया गया था। यह भी नोट किया गया कि कुछ मामलों में, पुलिस जाति–आधारित अत्याचारों के खिलाफ कानून के प्रावधानों, विशेष रूप से 2015 के संशोधनों से अनजान थी, जिससे कानून के प्रावधानों को मजबूत किया गया था। यह भी देखा गया कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों में, पुलिस अधिकारी अन्य की तुलना में एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने में अधिक अनिच्छुक हैं।

अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने में विफलता एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।[21] हालाँकि, इन प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए बहुत कुछ वांछित होना बाकी है।

एफआईआर दर्ज करने में देरी

वास्तव में, अध्ययन किए गए 44% मामलों (अर्थात 50 में से 22 मामलों) में, पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित के परिवार ने पुलिस में शिकायत करने के बाद भी FIR दर्ज करने में देरी या कठिनाइयों के बारे में बताया है। पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने में आधे दिन से लेकर तीन महीने तक की देरी हुई। देरी की सबसे आम अवधि 2 - 5 दिनों के बीच

[21] Section 4, Punishment for Neglect of Duties, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention) of Atrocities Act, 1989 as amended in 2015.

थी। कई मामलों में, पीड़िता या पीड़ित के परिवार का समर्थन करने वाले कार्यकर्ताओं, वकीलों या स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के दबाव के बाद ही पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

FIR दर्ज करने में पुलिस की ओर से इस देरी का दोष सिद्ध होने की संभावना पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि FIR दर्ज होने तक आमतौर पर चिकित्सा जांच नहीं की जाती है। चिकित्सा परीक्षण में देरी से बलात्कार के भौतिक साक्ष्य प्राप्त करने या बलात्कार के लिए अपराधी को पकड़ने की संभावना कम हो जाती है, और भारतीय अदालतें अभी भी बलात्कार के मामलों का फैसला करने में चिकित्सा साक्ष्य पर अत्यधिक निर्भरता रखती हैं।[22]

मामले का अध्ययनः राजस्थान में 13 वर्षीय दलित लड़की रितु के साथ यादव समुदाय के दो लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। जब रितु और उसके माता–पिता बलात्कार की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस ने कोई दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि वे गरीब थे और दलित समुदाय से थे। शिकायत मिलने के बाद कई दिनों तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की और आखिरकार पुलिस अधीक्षक से अपील करने वाले नागरिक समाज संगठनों के दबाव के बाद शिकायत दर्ज होने के छह दिन बाद FIR दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के कारण, चिकित्सा परीक्षण के दौरान बलात्कार के सभी साक्ष्य एकत्र न किए जा सके, जिससे दोषसिद्धि की संभावना प्रभावित हो सकती है (मामला वर्तमान में निचली अदालत में लंबित है)।

पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है

कई मामलों में, पुलिस भी कार्रवाई करने में विफल रही है जब पीड़िता के परिवार द्वारा पहली बार लापता होने की सूचना दी गई थी (और उसके शरीर को बाद में बलात्कार और हत्या के बाद पाया गया); या जब पीड़िता ने आरोपी द्वारा उत्पीड़न की सूचना दी (जो बाद में बलात्कार में बदल गई)। इन शिकायतों को गंभीरता से लेने और मामले की प्रभावी जांच करने या पीड़ित की रक्षा करने में पुलिस की विफलता दलित महिलाओं और लड़कियों को हिंसा के प्रति अधिक प्रकट बनाती है।

केस स्टडी : नथिया के मामले में, उसके माता–पिता ने उसके लापता होने की सूचना तमिलनाडु पुलिस को दी। 18 साल की दलित लड़की नथिया को मुख्य आरोपी गोपी ने कुछ महीने पहले परेशान किया था और धमकाया था। नथिया के परिवार को शक था कि गोपी ने नथिया के साथ कुछ किया है। हालांकि, उसके लापता होने की सूचना के बाद छह दिनों तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। उन्होंने गोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की, लेकिन नथिया का पता लगाने में कोई प्रगति किए बिना उसे शीघ्र ही रिहा कर दिया। पुलिस नथिया को बचाने या उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए कोई अन्य कार्रवाई करने में सुस्त थे। 17 दिन बाद ग्रामीणों को नथिया का शव मिला, जिसके बाद पता चला कि गोपी और उसके दोस्तों ने नथिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी।

केस स्टडी : महाराष्ट्र के एक मामले में आरोपी दलित महिला शीतल को सालों से प्रताड़ित कर रहा था, धमका रहा था और जातिसूचक गालियां दे रहा था। उसने पुलिस की मदद लेने की कोशिश की, उत्पीड़न के लिए FIR दर्ज की और यहां तक कि राज्य महिला आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई। उसके सभी प्रयास व्यर्थ थे क्योंकि पुलिस द्वारा शीतल की रक्षा के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और उसके उत्पीड़न का मामला रद्द कर दिया गया था। शिकायत के तीन महीने बाद, आरोपी ने शीतल का अपहरण कर लिया, उसे 'शादी' करने के लिए मजबूर किया और उसका यौन शोषण किया। आखिरकार वह चार महीने बाद भागने में सफल रही। अपने अंतिम प्रयास के बाद शीतल ने पुलिस के पास वापस जाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन महिला एवं बाल विभाग में जबरन शादी के बारे में शिकायत

[22]CEHAT, Role of Medico-legal Evidence in Rape Trials: A Review of Judgments at the Sessions Court in Mumbai, 2020, http://www.cehat.org/uploads/files/A%20Rape%20Review%20Report%20Final.pdf

दर्ज कराई, जिसने उसे समायोजित करने और अपने विवाहित जीवन में वापस आने की सलाह दी। बिना किसी सुरक्षा या अधिकारियों की मदद के शीतल अपनी मां के साथ रह रही थी और आरोपी से छिप रही थी। लेकिन सात महीने बाद आरोपी ने शीतल को फिर से ढूंढ निकाला और जब उसकी मां ने उसे घर में जाने से मना किया तो उसने शीतल की मां की गोली मारकर हत्या कर दी.

यह मामला महिलाओं की सुरक्षा और हिंसा को रोकने में राज्य तंत्र की पूर्ण विफलता को प्रदर्शित करता है, जिसके परिणामस्वरूप बलात्कार और हत्या दोनों होती हैं, जो संभावित रूप से टाला जा सकता था यदि पुलिस द्वारा उत्पीड़न की प्रारंभिक शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाती।

पुलिस द्वारा धमकी और भ्रष्टाचार

कई मामलों में, पीड़िताओं और पीड़िताओं के परिवारों ने पुलिस द्वारा बलात्कार के लिए न्याय तक पहुंच में सक्रिय रूप से बाधा डालने की घटनाओं की सूचना दी है। पीड़िताए या पीड़िताओं के परिवार रिपोर्ट करते हैं:

– मामलों की रिपोर्ट करने के लिए जाने पर पुलिस द्वारा चिल्लाया जाना या दुर्व्यवहार किया जाना;

– शिकायत वापस लेने या मामले से समझौता करने के लिए पुलिस की धमकियों या दबाव का सामना करना

– पुलिस के भीतर स्पष्ट भ्रष्टाचार, पुलिस द्व ारा कथित तौर पर आरोपी व्यक्तियों से रिश्वत स्वीकार करने के बदले में यह सुनिश्चित करना कि FIR, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट या आरोप पत्र में बलात्कार या एक आरोपी व्यक्ति के बारे में कुछ विवरण शामिल नहीं हैं।[23]

– रात में या इससे पहले कि परिवार ऐसा करने के लिए तैयार हों, पीड़िता के शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया जाना (2020 में हाथरस मामले में जबरन दाह संस्कार)।[24]

केस स्टडी: ओडिशा के कुंडुली में चार संदिग्ध सुरक्षाकर्मियों ने 15 वर्षीय दलित लड़की स्नेहा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार के बाद उसकी हालत गंभीर थी और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां पुलिस उसका बयान लेने पहुंची। स्नेहा ने दावा किया कि उन्हें पुलिस द्वारा लगातार धमकी दी जा रही थी और परेशान किया जा रहा था, कि सुरक्षा कर्मियों ने नहीं बल्कि अन्य स्थानीय लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था और आरोपों को वापस लेने के लिए उसे पुलिस द्वारा पैसे भी प्रस्तावित किए गए थे। पुलिस ने स्नेहा के ठीक होने के बाद भी उसे अस्पताल में ही रखा और परिवार से मिलने से मना कर दिया। जब पुलिस स्नेहा को अपना बयान बदलने के लिए मनाने में असमर्थ रही, तो पीड़िता की मेडिकल जांच फिर से की गई, जिससे पता चला कि बलात्कार का कोई सबूत नहीं था (मूल मेडिकल रिपोर्ट की प्रति जहां डॉक्टर ने मौखिक रूप से बलात्कार की पुष्टि की थी पीड़िता को नही दी गयी।)।[25] तीन महीने तक लगातार प्रताड़ित करने के बाद स्नेहा इसे सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। अपने सुसाइड नोट में, उसने कहा कि उसके साथ बलात्कार किया गया था और ऐसा करने के लिए भारी दबाव के बावजूद उसने मरते दम तक तक इसे अस्वीकार करने से इनकार कर दिया।

पुलिस जांच में देरी

आपराधिक प्रक्रिया संहिता पुलिस द्वारा बलात्कार के मामलों की जांच पूरी करने के लिए दो महीने

[23]See generally Transparency International, Global Corruption Index 2020, which shows that 42% of people in India who interacted with the police in 2020 had used bribes. https://www.transparency.org/en/gcb/asia/asia-2020/results/ind

[24]Also see Bismee Taskin & Tanushree Pandey, Hathras was No Exception, at least 4 'rape' victims were forcibly cremated by the police, The Print, 2 October 2021, https://theprint.in/india/hathras-was-no-exception-at-least-4-rape-victims-were-forcibly-cremated-by-police/743817/

[25]See Report of Public Hearing on "Alleged Rape Cases and Status of Rape Victims in Odisha" [Kunduli Rape Victim], 21 January 2018, for more details. https://odishasoochana.blogspot.com/2018/01/report-of-public-hearing-on-alleged.html

[26]Section 173, Code of Criminal Procedure, 1973

की समय सीमा को अनिवार्य करती है। [26]हालांकि, इस समय सीमा के बावजूद, यह अक्सर देखा जाता है कि पुलिस द्वारा जांच पूरी होने और चार्जशीट दाखिल करने में देरी होती है। जिन 23 मामलों में इस बिंदु पर पूरी जानकारी उपलब्ध है, उनमें से यह पाया गया कि:

– 12 मामलों (52% मामलों) में, आरोप पत्र दो महीने के बाद दायर किया गया था, या एफआईआर दर्ज होने की तारीख से दो महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस जांच में देरी के कारण अभी तक दायर नहीं किया गया है। इन मामलों में चार्जशीट दाखिल करने में देरी (कानून द्वारा प्रदान की गई दो महीने की सीमा से अधिक) 0.5 महीने से लेकर 6 साल तक है।

– 11 मामलों (अर्थात् 48%) में दो महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी गई।

पुलिस जांच में देरी जैसा कि इस रिपोर्ट के मामलों के निष्कर्षों में उल्लेख किया गया है, एनसीआरबी के राष्ट्रव्यापी आंकड़ों में भी परिलक्षित होता है। 2020 के अंत में, दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के मामलों में पेंडेंसी का प्रतिशत 25.5% था। इसका मतलब यह है कि रिपोर्ट किए गए मामलों में से एक चौथाई से अधिक अभी भी 2020 के अंत में पुलिस जांच के लिए लंबित थे , पुलिस द्वारा जांच पूरी करने और मामले की रिपोर्ट होने के 2 महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल करने के लिए कानूनी आवश्यकता के बावजूद।[27]

केस स्टडी: ओडिशा के एक मामले में, एक युवा दलित लड़की हरिप्रिया का नग्न शरीर उस स्थान पर मिली, जहां वह स्नान करती थी। उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें आई हैं और चेहरे व शरीर पर तेजाब डाल दिया गया है। इस मामले में आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की गंभीर प्रकृति और क्रूर बलात्कार और हत्या के बावजूद, पुलिस कोई प्रगति करने में विफल रही और आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया लेकिन आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहने के कारण, आरोपियों को उनकी गिरफ्तारी के दो महीने बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद, आरोपी ने हरिप्रिया के परिवार को डराने–धमकाने के प्रयास में हरिप्रिया की दो छोटी बहनों का अपहरण कर लिया। बलात्कार और हत्या की घटना के छह साल बाद भी आरोपियों की पहचान करने के बावजूद पुलिस की पूरी तरह से विफलता व सरकारी अधिकारियों द्वारा दलित पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की इच्छाशक्ति की कमी को प्रदर्शित करती है।

पुलिस द्वारा मामलों को झूठा ठहराया जा रहा है

राष्ट्रीय अपराध रिकॉड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में, राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के लगभग 8.51% मामलों को पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट में 'झूठा' बोलकर समाप्त कर दिया गया था। वहीं, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में, अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के 37.2% और 36.9% मामलों को पुलिस द्वारा झूठा नामित किया गया था। [28]इन आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा और राजस्थान में अक्सर पीड़ितों/उत्तरजीवियों पर अतिरिक्त–कानूनी समझौता करने या समझौता करने के दबाव के कारण बड़ी संख्या में रिपोर्ट किए गए मामले पुलिस प्रक्रिया के दौरान ही छूट रहे हैं ।

पुलिस द्वारा दिखाई गई जाति और लिंग संवेदनशीलता की कमी

जब दलित महिलाएं और लड़कियां बलात्कार की रिपोर्ट करने का प्रयास करती हैं तो पीड़िताओं के परिवार पुलिस अधिकारियों की ओर से लिंग और जाति संवेदनशीलता की कमी रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने यह निर्धारित करने में जाति और वर्ग

[27]Section 173, Code of Criminal Procedure, 1973 as amended by the Criminal Law (Amendment) Act, 2018. https://www.mha.gov.in/sites/default/files/CSdivTheCriminalLawAct_14082018_2.pdf
[28]National Crime Records Bureau, Crime in India - 2020, https://ncrb.gov.in/en/Crime-in-India-2020

के प्रभाव को भी नोट किया– उनकी शिकायतों और मामलों को कितनी गंभीरता से लिया गया था, खासकर जब आरोपी व्यक्ति एक शक्तिशाली या प्रभावशाली जाति समुदाय से था। ऐसे मामलों में जब लड़कियां लापता हो जाती थीं, पुलिस अधिकारी कभी–कभी सेक्सिस्ट टिप्पणी करते थे और मान लेते थे कि लड़की किसी पुरुष के साथ भाग गई है, और मामले की ठीक से जांच करने में विफल रहे।

केस स्टडी: उत्तराखंड में नौ साल की दलित लड़की शिवानी के साथ रेप हुआ। एक बार मामला दर्ज होने के बाद, पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल से जल्दी छुट्टी दे दी और मजिस्ट्रेट द्वारा अपना बयान दर्ज कराने के लिए पीड़िता और उसकी मां को एक निजी वाहन में ले गई। पुलिस ने वाहन में जगह की कमी बताकर पीड़िता के पिता को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया लेकिन आरोपी को थाने से उसी वाहन में ले गए। 100 किमी से अधिक की यात्रा के लिए, आरोपी पीड़िता और उसकी मां को धमकाता रहा। मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण, जब वे मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे तो वे बयान को ठीक से दर्ज करने से भी डरे हुए थे। जब पीड़िता को वापस लाया गया, तो पाया गया कि पर्याप्त चिकित्सा उपचार प्रदान किए बिना लंबी यात्रा करने के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था।

मानवाधिकार परिषद को 2014 की एक रिपोर्ट में , महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने दलित और आदिवासी महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा और "भेदभाव के कई और प्रतिच्छेदन रूपों" पर प्रकाश डाला और कहा कि "पुलिस अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्यों द्वारा किए गए भेदभाव की वजह से पीड़िताओं को जन सेवाएँ नही पहुँच पाती हैं।"[29]

एक चौथाई से अधिक अभी भी 2020 के अंत में पुलिस जांच के लिए लंबित हैं।

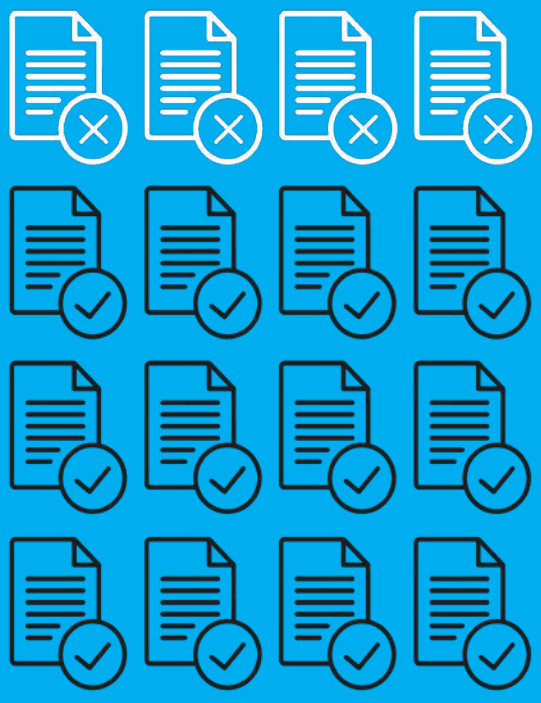

[29]Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo, Mission to India, Human Rights Council, 26th session, April 2014

चिकित्सा जांच और उपचार में समस्याएं

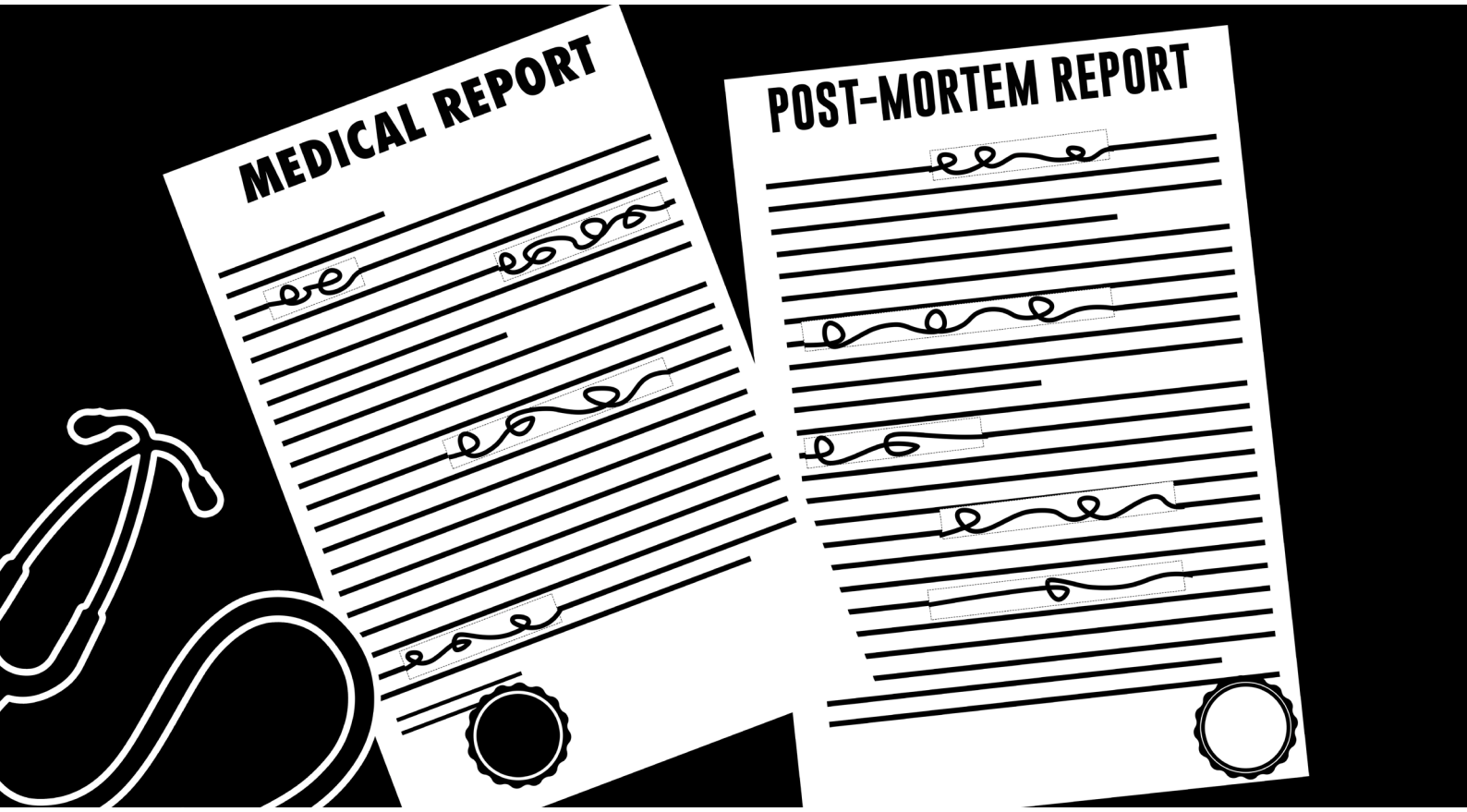

बलात्कार की पीड़िताओं ने भी चिकित्सा परीक्षण के दौरान कई मुद्दों का सामना करने की जानकारी दी। कई मामलों में, पीड़िताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्हें चिकित्सा जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान नहीं की गई थी; या बलात्कार और हत्या के मामलों में, पीड़िता के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अपनी स्वयं की चिकित्सा रिपोर्ट तक पहुंच की कमी का मतलब है कि बलात्कार से बचे लोगों को अक्सर मुकदमे के दौरान अंधा कर दिया जाता है, खासकर अगर चिकित्सा जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि बलात्कार के तथ्य को साबित नहीं किया जा सकता है।

ऐसे डॉक्टरों की भी रिपोर्टें हैं जो चिकित्सा परीक्षण करते हैं और अदालती प्रक्रियाओं में अप्रशिक्षित हैं, और इसलिए अदालत में प्रभावी ढंग से साक्ष्य प्रदान करने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में पीड़िताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि चिकित्सा रिपोर्ट, फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कभी–कभी राज्य के अधिकारियों द्वारा हेरफेर किया जाता है ताकि यह दिखाया जा सके कि बलात्कार का कोई सबूत नहीं था। कुछ बलात्कार से बचे लोगों ने नोट किया कि उन्हें सहमति फॉर्म या मेडिकल जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, बिना इस बात की जानकारी के कि वे किस चीज़ पर हस्ताक्षर कर रहे थे। पीड़िताएं चिकित्सा कर्मियों द्वारा लिंग और जाति संवेदनशीलता की कमी की भी रिपोर्ट करतीं हैं, जो बलात्कार की शिकायत करने वाली पीड़िताओं पर विश्वास नहीं करते हैं और बलात्कार के मिथकों और रूढ़िवादी सोच के आधार पर टिप्पणी करते हैं, जो पीड़िताओं के आघात को बढ़ातीं हैं।

केस स्टडी : उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के एक मामले में, रेणु, एक 21 वर्षीय दलित महिला को ठाकुर जाति के एक व्यक्ति पंकज द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसका चाचा गाँव का मुखिया था।

पंकज आए दिन रेणु को डराता रहता था। उसने उसकी तस्वीरें लीं और उन्हें अश्लील तस्वीरों में बदल दिया, जिसे उसने रेणु को शर्मसार करने के लिए सार्वजनिक करने की धमकी दी। हालत इतनी खराब थी कि रेणु ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। उसने अपनी मां से यहां तक शिकायत की थी कि उसे डर है कि आरोपी उसे मार डालेगा। एक दिन रेनू लापता हो गई और उसके लापता होने की सूचना के एक दिन बाद, पंकज रेणु के घर आया और रेणु और उसके परिवार को गंदी गालियां दीं। उसने यह कहकर उसके परिवार को भी धमकाया कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि रेणु कहीं न जाए और कोई उससे शादी न करे। उसने रेणु, उसकी बहनों और उसकी मां को रेप करने की धमकी भी दी। दो दिन बाद रेणु का शव तालाब में पड़ा मिला। हालांकि शव मिलने पर पंकज को शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके परिवार के लगातार दबाव के बाद उसे छोड़ दिया गया। पंकज के जमानत पर रिहा होने के बाद, उसने रेणु के परिवार को केस लड़ने पर जान से मारने की धमकी दी। जब रेणु के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाया गया तो जांच से पहले डॉक्टर को तीन बार बदला गया। अंत में, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि रेणु की मौत डूबने से हुई थी, और उसे बलात्कार या संदिग्ध मौत का कोई सबूत नहीं मिला। पंकज द्वारा रेणु और उसके परिवार के खिलाफ जारी उत्पीड़न और बलात्कार और हत्या की धमकी के इतिहास के बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के परिणाम के कारण इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी।

प्रोटोकॉल का पालन करने में विफलता और "टू–फिंगर टेस्ट" का निरंतर उपयोग

2014 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए मेडिको–लीगल केयर पर दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल जारी किए । इन दिशानिर्देशों में ऐसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता होती है जो यौन हिंसा का खुलासा करने वाली महिलाओं और लड़कियों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए फोरेंसिक जांच करते हैं या उन्हें ऐसी सेवाओं के लिए किसी अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पास भेजते हैं। इनमें बलात्कार पीड़िता की फोरेंसिक जांच के लिए प्रोटोकॉल भी शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिड़िता की गोपनीयता, गरिमा और स्वायत्तता का सम्मान किया जाता है।

ये प्रोटोकॉल देश भर के कई राज्यों में खराब तरीके से लागू किए गए हैं।[30] चिकित्सा पेशेवरों को प्रोटोकॉल और उन सूचनाओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है जिन्हें बलात्कार पीड़ितों के लिए चिकित्सा जांच रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, दिशानिर्देश साफ़ कहते हैं कि हाइमन की स्थिति अप्रासंगिक है क्योंकि "एक अक्षुण्ण हाइमन यौन हिंसा की सम्भावना को नही नकार सकता है, और एक फटा हुआ हाइमन पिछले संभोग को साबित नहीं करता है"। दिशानिर्देश यह नोट करते है कि केवल यौन हमले के उस विशेष प्रकरण से संबंधित निष्कर्ष जैसे कि हाइमन के लिए ताजा चोटें दर्ज की जानी चाहिए।[31] लेकिन, 2019 में महाराष्ट्र की एक वयस्क बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट, जिसका अध्ययन इस रिपोर्ट के लिए किया गया था, में कहा गया है कि "योनि – बिना कठिनाई के एक उंगली स्वीकार करती है" और यह भी नोट करती है कि "हाइमन का टूटना पुराना है"। ये दोनों तथ्य हालांकि उस विशेष उदाहरण में बलात्कार को साबित करने के लिए अप्रासंगिक हैं, इनका इस्तेमाल बचाव पक्ष के वकीलों और अदालतों द्वारा पीड़िता के पिछले यौन इतिहास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जा सकता है।

इस बात के भी सबूत हैं कि कुछ राज्यों में अस्पतालों द्वारा बलात्कार पीड़ितों की चिकित्सा जांच के हिस्से के रूप में अवैज्ञानिक "टू–फिंगर टेस्ट" अभी भी किया जा रहा है। इस परीक्षण में एक चिकित्सक शामिल होता है जो योनि में दो अंगुलियों को डालने का प्रयास करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि हाइमन टूट गया

[30] See Also Centre for Enquiry into Health and Allied Themes, Understanding Dynamics of Sexual Violence : Study of case records, 2018.
[31] Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, Guidelines & Protocols: Medico-legal care for survivors/ victims of Sexual Violence, 2014, https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/953522324.pdf

है या नहीं। परीक्षण का उपयोग अक्सर यौन उत्पीड़न से बची औरतों को "सेक्स की आदि" घोषित करने के लिए किया जाता है। अवैज्ञानिक, दर्दनाक और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले टू–फिंगर टेस्ट को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में प्रतिबंधित कर दिया था।[32]स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी 2014 के दिशानिर्देश यह भी स्पष्ट करते हैं कि टू–फिंगर टेस्ट का यौन हिंसा के मामलों पर कोई असर नहीं पड़ता है।

हमारी रिपोर्ट के लिए अध्ययन किए गए मामलों में से, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के कम से कम 11 जीवित बचे लोगों ने पुष्टि की कि मेडिकल परीक्षण के दौरान उनका टू–फिंगर परीक्षण किया गया था। कई अन्य मामलों में, यह जानकारी उपलब्ध नहीं थी या लागू नहीं थी (जैसे कि बलात्कार और हत्या के मामलों में; या यदि कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी)। इसलिए यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि दो–उंगली परीक्षण अभी भी शेष राज्यों में भी आयोजित किया जा रहा है या नहीं।

तमिलनाडु राज्य में, ऐसा प्रतीत होता है कि अस्पतालों द्वारा टू–फिंगर टेस्ट का उपयोग अभी भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तमिलनाडु से अध्ययन किए गए नौ बलात्कार के मामलों में से दो मामले बलात्कार और हत्या के थे। शेष 7 मामलों में से, 6 मामलों में, बलात्कार पीड़िता ने कहा कि उसका टू–फिंगर परीक्षण किया गया था। तमिलनाडु में टू–फिंगर परीक्षण का निरंतर उपयोग सितंबर 2021 में IAF अधिकारी के आरोपों से भी होता है, जिसके मामले को काफ़ी मीडिया कवरेज प्राप्त हुआ जब उसने कहा कि उसे बलात्कार के बाद एक सैनिक अस्पताल में दो–उंगली परीक्षण सहना पड़ा था।[33]

मानवाधिकार के दृष्टिकोण से, बलात्कार पीड़ितों पर एक चिकित्सा परीक्षण करना जिसका कोई संभावित मूल्य नहीं है, महिलाओं और लड़कियों की व्यक्तिगत अखंडता का उल्लंघन है और इन बलात्कार पीड़ितों के लिए और अधिक आघात का कारण बन सकता है।

पर्याप्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने में विफलता

इसके अलावा, पीड़िताएँ रिपोर्ट करतीं हैं कि अक्सर, हालांकि उन्हें पुलिस को मामले की रिपोर्ट करने के बाद कानून के प्रावधानों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया था, उन्हें चोटों के लिए या कुछ मामलों में गर्भावस्था के कारण पर्याप्त चिकित्सा उपचार नहीं मिला। चिकित्सा उपचार प्रदान करने में विफलता आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 357–सी का उल्लंघन है, जो यह प्रावधान करती है कि सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों को बलात्कार पीड़ितों को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा उपचार मुफ्त प्रदान करना आवश्यक है।

केस स्टडी : बलात्कार पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा उपचार प्रदान करने में विफलता के घातक परिणाम भी हो सकते हैं। तेलंगाना के एक मामले में, 14 वर्षीय दलित अनाथ अनन्या के साथ अनाथालय में बार–बार बलात्कार किया गया, जहां वह रह रही थी। उसके रिश्तेदारों को बलात्कार के बारे में तब पता चला जब अनन्या लाक्डाउन के दौरान उनके साथ रहने आई और 1 अगस्त को उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। हालाँकि बलात्कार के लिए FIR दर्ज की गई थी, लेकिन अनन्या को चिकित्सा प्रदान नहीं की गई। उसे 3 अगस्त को जिला बाल कल्याण आयोग (सीडब्ल्यूसी) को सौंप दिया गया था, इस उम्मीद में कि उसे चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी और अनाथालय में अन्य लड़कियों को बचाया जाएगा। लेकिन सीडब्ल्यूसी ने बिना कोई कार्रवाई किए अनन्या को सिर्फ ऑब्जर्वेशन होम में ही रखा। बार–बार होने वाले हमलों के कारण आंतरिक घावों से रक्तस्राव के कारण बेहोश होनेके बाद 8 अगस्त को ही अनन्या को अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दिए जाने के बाद भी उसकी आंतरिक चोटों का एक सप्ताह से अधिक समय तक पता नहीं चला था। अनन्या को आखिरकार हैदराबाद के प्रसिद्ध निलोफर अस्पताल ले जाया गया जहां उसने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया और आखिरकार 12 अगस्त को अंतिम सांस ली।

[32]Lillu v State of Haryana (2013)14 SCC 643
[33]The New Indian Express, Doctors performed two-finger test to prove I was raped: Woman IAF officer, 30 September 2021, https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2021/sep/30/doctors-performed-two-finger-test-to-prove-i-was-raped-woman-iaf-officer-2365584.html

न्यायिक प्रक्रिया में बाधाएं

इस रिपोर्ट के लिए अध्ययन किए गए 50 मामलों में से एक मामले में FIR दर्ज नहीं की गई थी। 43 मामले या तो अदालत के समक्ष या पुलिस जांच के दौरान लंबित हैं। 2 मामलों में दोष सिद्ध हुए, जबकि 4 मामले समझौते के चलते बंद हो गए।

जिन दो मामलों में दोष सिद्ध हुआ, उनमें बलात्कार और हत्या के दोनों मामले शामिल थे, जिनमें बहुत कम उम्र की पीड़िताएं शामिल थीं, जिनकी उम्र क्रमशः 5 और 7 साल थी। इन मामलों में, मुकदमे को पूरा होने में क्रमशः 6 महीने और 9 महीने लगे।

केस प्रक्रिया में लंबी देरी

इस रिपोर्ट के लिए अध्ययन किए गए सभी चालीस मामलों में, जो लंबित हैं, केस दो महीने से अधिक समय से लंबित है, जो कि बलात्कार के परीक्षणों को पूरा करने के लिए कानून के तहत स्थापित समय सीमा है। [34]तीन मामलों में मुकदमे 6 साल से अधिक समय से लंबित हैं, और अन्य 7 मामले 3 साल से अधिक समय से लंबित हैं।

एनसीआरबी के आधिकारिक आंकड़ों में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे जाते हैं, जो दर्शाता है कि 2020 के अंत में बलात्कार के 1,59,660 मामले लंबित थे। दलित महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामलों में लंबित मामलों का प्रतिशत और लड़कियों (अर्थात वर्ष के अंत में

[34]Section 309, Code of Criminal Procedure, 1973

यौन हिंसा केस की वर्तमान स्थिती

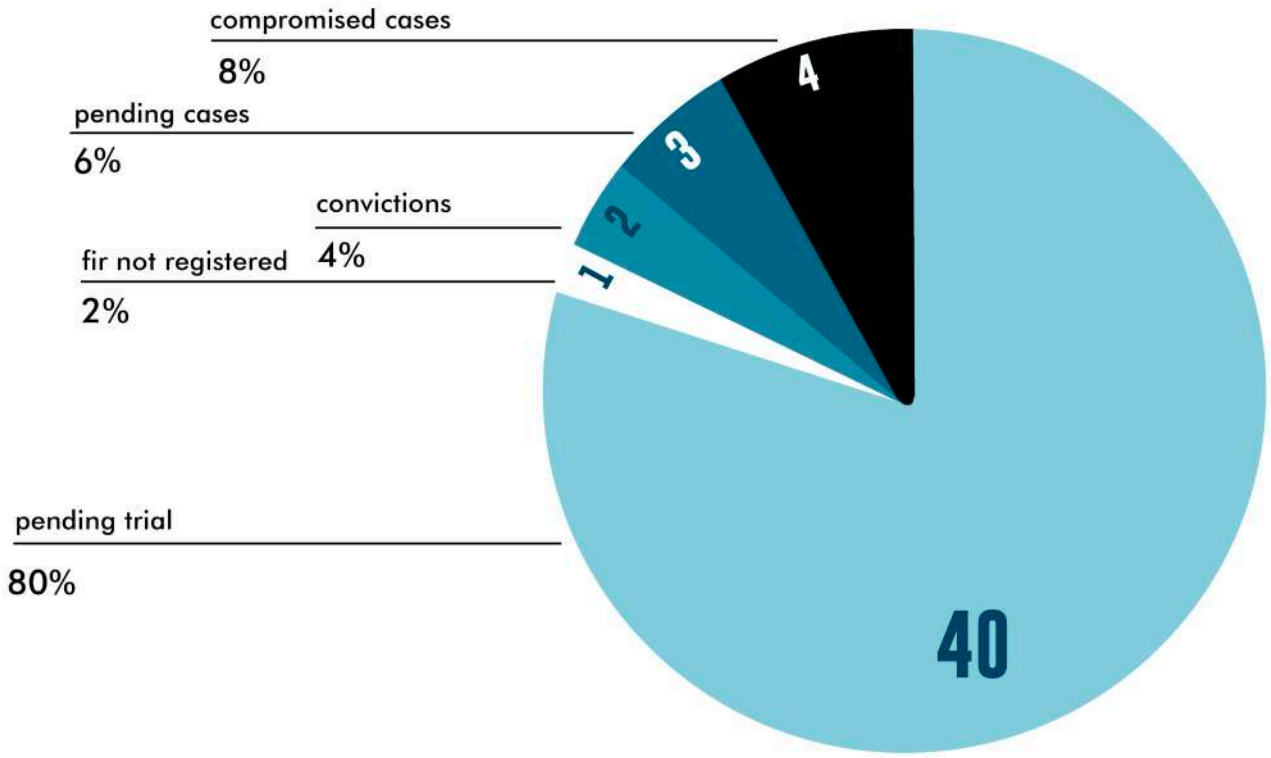

अदालतों में लंबित मामलों का प्रतिशत) 96.3% थी । परीक्षण में देरी के कारण COVID -19 महामारी और संबंधित उपायों और लॉकडाउन के प्रभाव को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि 2019 में पेंडेंसी प्रतिशत 91.4% से बढ़कर 2020 में 96.3% हो गया है। इस रिपोर्ट के लिए अध्ययन किए गए 50 मामलों में से, लगभग सभी मामले जिनमें 2019 में या बाद में मुकदमा शुरू हुआ, अदालतों के समक्ष लंबित हैं।

सजा दर

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि दर (अर्थात जिन मामलों में मुकदमा पूरा हुआ, उनमें दोषसिद्धि की संख्या) 42.5% थी। यह 2019 में दर्ज किए गए ऐसे मामलों में 32.2% दोषसिद्धि दर में सुधार है, और वास्तव में पिछले पांच वर्षों में दर्ज दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के मामलों में सबसे अधिक सजा दर है।

जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपित द्वारा किया प्रतिशोध

पुलिस जांच और बलात्कार के मुकदमे चलाने में देरी के प्रभावों में से एक यह है कि आरोपी अक्सर जमानत पर लंबित मुकदमे पर रिहा हो जाता है। कई मामलों में, जमानत पर रिहा होने के बाद, आरोपी जमानत बांड की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है; और पीड़िता के परिवार को धमकाता और परेशान करता है। ओडिशा के एक मामले में, आरोपी व्यक्तियों ने परिवार

को डराने–धमकाने के प्रयास में जमानत पर रिहा होने के बाद मृतक पीड़िता की बहनों का अपहरण भी कर लिया। सिस्टम यह सुनिश्चित करने में कि आरोपी व्यक्ति जमानत की शर्तों का पालन करे और साथ ही पीड़ितों और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त हो, विफल है। अक्सर पिड़िता या उसके परिवार को आरोपी द्वारा बार–बार धमकियों, प्रतिशोध और उत्पीड़न के आघात का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में, आरोपी व्यक्तियों द्वारा प्रतिशोध के डर से जबरन समझौता कर लिया जाता है।

केस प्रक्रिया के मुद्दे

मुकदमे की प्रक्रिया के संबंध में बलात्कार पीड़िताओं और पीड़ितों के परिवारों की सबसे आम शिकायत सरकारी अभियोजकों के बारे में थी, जो या तो मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, या यह नहीं मानते थे कि उत्तरजीवी के साथ बलात्कार किया गया था, या उन्हें मामले की स्थिति और सुनवाई की तारीखें के बारे में सूचित करने में विफल रहे। कुछ मामलों में, उत्तरजीवियों और पीड़ितों के परिवारों ने कहा कि सरकारी वकील ने अतिरिक्त पैसे की मांग की, भले ही अभियोजकों को राज्य द्वारा भुगतान किया जाता है और उन्हें बलात्कार से बचे लोगों के लिए निः शुल्क सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। कई मामलों में, सरकारी अभियोजक में विश्वास की कमी या अभियोजक द्वारा अपने कर्तव्यों को ठीक से पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप पीड़िता के परिवार ने सहायता के लिए अपने निजी वकीलों (अक्सर उच्च लागत पर) की नियुक्ति की। लोक अभियोजक भी अक्सर एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के प्रावधानों से अनजान होते हैं या अपने स्वयं के जातिगत पूर्वाग्रहों के कारण इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं होते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अदालत की लंबी दूरी भी पिड़िता या उसके परिवार पर एक वित्तीय बोझ पैदा करती है, जो तब और बढ़ जाती है जब सरकारी वकील अक्सर सुनवाई के लिए पीड़ितों और गवाहों के अदालत में आने पर भी स्थगन की मांग करते हैं। एससी एंड एसटी (पीओए) अधिनियम में जांच और परीक्षण के दौरान यात्रा और रखरखाव खर्च प्रदान करने के लिए अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की आवश्यकता है।[35] हालांकि, ये रखरखाव खर्च शायद ही कभी जीवित पीड़ितों को प्रदान किए जाते हैं, जो कानून के तहत अपने अधिकारों से अवगत नहीं हैं।

पीड़िताओं ने परीक्षण प्रक्रिया के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों के आपत्तिजनक, असंवेदनशील और शत्रुतापूर्ण सवालों का सामना करने का भी उल्लेख किया।

[35]Section 15A, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 as amended in 2015

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए)अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंगसे लागू करने में विफलता

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम में 2015 के संशोधन के लिए राज्य सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमे के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने की आवश्यकता है। [36]ये विशेष अदालतें दो महीने के भीतर पूरी की जाने वाली त्वरित सुनवाई प्रदान करने के लिए हैं। राज्य सरकार को इन अदालतों के समक्ष अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की भी आवश्यकता है। लेकिन, देश भर में केवल 13 राज्यों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की ह[37]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम में राज्य सरकारों को अत्याचार–प्रवण जिलों की पहचान करने की भी आवश्यकता है ताकि इन क्षेत्रों में अत्याचारों को रोकने और सुरक्षा में सुधार के लिए उपाय किए जा सकें – जिसमें इन क्षेत्रों में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति के माध्यम से कार्यान्वयन की निगरानी करना शामिल है। हालांकि, देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 12 राज्यों ने ही अत्याचार–प्रवण क्षेत्रों की पहचान की है।[38]

---

[36]धारा 14, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 2015 में यथा संशोधित
[37]सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2020–21, https://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/ANNUAL_REPORT_2021_ENG.pdf
[38]सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2020–21, https://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/ANNUAL_REPORT_2021_ENG.pdf

सामुदायिक हस्तक्षेप की भूमिका और समझौता करने का दबाव

अध्ययन किए गए 50 मामलों में से 37 में, यानी 74% मामलों में, पीड़ितों या पीड़ितों के परिवारों को आरोपी, उनके परिवार या समुदाय के अन्य सदस्यों से धमकियां मिलीं और या तो शिकायत न करने या मामले को वापस लेने/समझौता करने का दबाव मिला। अन्य 2 मामलों में, पीड़िताओं ने उल्लेख किया कि उन्हें समुदाय के सदस्यों से केस में समझौता करने के लिए अप्रत्यक्ष दबाव मिला, हालांकि उन्हें सीधे तौर पर निपटाने के लिए पैसे की पेशकश नहीं की गई थी या सीधे तौर पर मामलों को छोड़ने की धमकी नही दी गई थी। इन 39 मामलों में से, पांच मामलों में, वास्तव में समझौता हुआ, जिसके तहत पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित के परिवार ने पुलिस/अदालत के समक्ष अपना बयान बदलने और आपराधिक मामले में सहयोग करना बंद करने पर सहमति व्यक्त की।

अदालतों द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त समझौते

हर साल, बलात्कार के कई मामलों में अदालतों द्वारा समझौता किया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि बलात्कार एक गैर–शमनीय अपराध है और सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि कानून के तहत बलात्कार के मामलों में समझौता करने की अनुमति नहीं है।[39]

[39](2014) 13 SCC 218

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, अदालतों द्वारा आधिकारिक तौर पर समझौता किए गए बलात्कार के मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

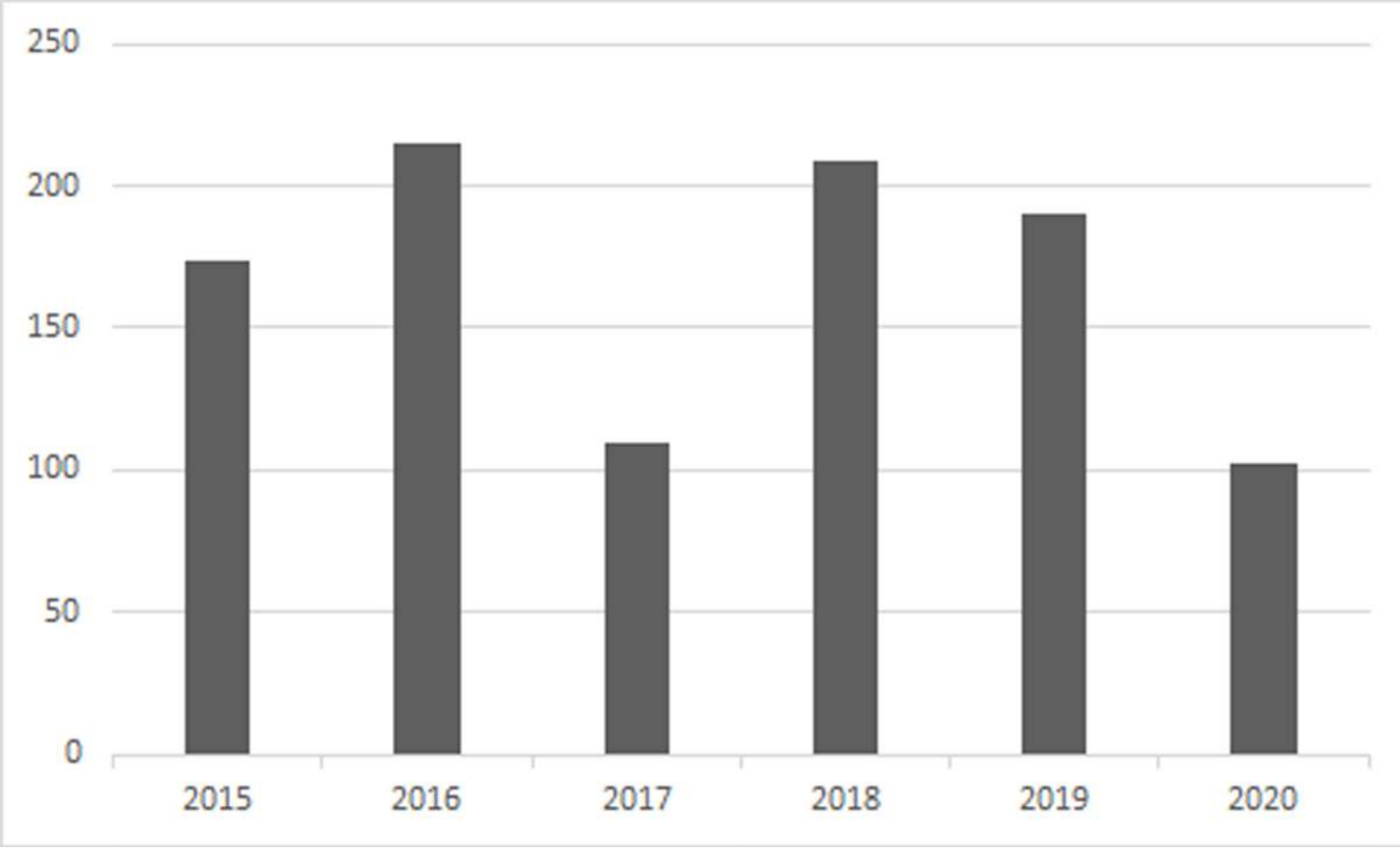

इस डेटा ग्राफ में अदालत द्वारा समझौता किए गए सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के मामलों को दिखाता है , दलित महिलाओं और लड़कियों के संबंध में इस बिंदु पर अलग–अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

2020 में समझौता किए गए मामलों की थोड़ी कम संख्या को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि पिछले वर्षों की तुलना में 2020 में अदालतों द्वारा बहुत कम बलात्कार के मामलों का निपटारा किया गया है (कोविड –19 महामारी में अदालत के बंद होने के कारण)। वास्तव में, अदालतों द्वारा आधिकारिक तौर पर समझौता किए गए बलात्कार के मामलों का प्रतिशत औसतन, 2016–2020 के बीच लगभग 1% रहा है।[40]

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कई और बलात्कार के मामलों में हर साल अदालत के बाहर समझौता किया जाता है, जो आधिकारिक तौर पर आंकड़ों में दर्ज नहीं होते हैं क्योंकि इस तरह के अदालत के बाहर समझौते में आमतौर पर या तो पुलिस मामले को बंद कर देती है (इन्हें 'झूठा' नामित करके) या आरोपी को बरी कर दिया जाता है क्योंकि पिड़िता या गवाह अब आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

जाति आधारित यौन हिंसा के मामलों में समझौता

यौन हिंसा के मामलों में न्याय तक पहुंच में बाधा डालने में समुदाय की भूमिका अक्सर जाति आधारित यौन हिंसा के मामलों में विशेष रूप से तीव्र होती है, जहां अपराधी एक प्रमुख जाति परिवार से होता है। आरोपी व्यक्ति और उनके परिवार अपने जातिवादी प्रभाव, और अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का उपयोग अक्सर आपराधिक न्याय प्रणाली के अधिकारियों के समर्थन से पिड़िता और उसके परिवारों को धमकाने और दबाव बनाने के लिए करते हैं। वे बलात्कार के मामले में समझौता

[40]National Crime Records Bureau, Crime in India, 2016-2020, available at https://ncrb.gov.in/en/crime-in-india https://ncrb.gov.in/en/Crime-in-India-2020

करवाने के लिए उन्हें डराने–धमकाने के लिए पिड़िता और पीड़िता के परिवार के खिलाफ झूठे काउंटर–मामले भी दर्ज करते हैं।

केस स्टडी: गुजरात की 19 वर्षीय दलित लड़की तनीषा को अपहरण के पांच दिन बाद एक पेड़ से लटका पाया गया था। आरोपी ओबीसी समुदाय का एक धनी व्यक्ति था जिसने तनीषा का बेशर्मी से अपहरण किया और यहां तक कि तनीषा की बहन को अपहरण के बारे में चुप रहने के लिए कहा। जब तनीषा के परिवार ने शिकायत की कि उनकी बेटी गायब है, तो पुलिस ने उन्हें बताया कि तनीषा शादी करने के लिए भाग गई है और परिवार वालों को ये दिलासा दी कि वह सुरक्षित है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और पीड़िता बाद में पेड़ से लटकी हुई मिली। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गैंग रेप और सोडोमी के संकेत मिले हैं। लेकिन आरोपी एक शक्तिशाली वित्तीय परिवार से था और उसने पुलिस को प्रभावित करने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेताओं के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल किया, साथ ही तनीषा के परिवार को धमका या और उन्हें पैसों का लालच भी दिया। हर तरफ से दबाव और पुलिस द्वारा कार्रवाई करने से इनकार करने पर, तनीषा के परिवार को एक समझौता करने के लिए मजबूर किया गया और उन्होंने पुलिस को दिया गयाअपना बयान बदल दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले को खुदकुशी मानकर बंद कर दिया।

आरोपी और उसके परिवार के दबाव के अलावा सवर्ण हिंदू और समुदाय के अन्य सदस्य भी अक्सर आरोपी का समर्थन करते हैं और केस वापस लेने की धमकी देते हैं। कई उदाहरणों में, जब अपराधी क्षेत्र की प्रमुख जाति से होता है, तो प्रमुख जाति समुदाय जो अक्सर जमींदार या दलितों के मालिक होते हैं, आर्थिक दबाव और नौकरी छूटने की धमकी का उपयोग दलित पीड़िताओं को चुप रहने या मामला वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए करते हैं।

दलित पीड़ितों पर यौन हिंसा का दबाव बनाने में पंचायतों (या अनौपचारिक ग्राम परिषदों) की भूमिका भी उल्लेखनीय है। चूंकि ये पंचायतें आमतौर पर किसी विशेष गांव में प्रमुख जाति के व्यक्तियों से बनी होती हैं, इसलिए वे अक्सर अपराधी का समर्थन करते हैं यदि वह भी एक प्रमुख जाति से है। इन खाप पंचायतों द्वारा संचालित विशाल सामाजिक और राजनीतिक शक्ति उन्हें पीड़ितों और उनके परिवारों को मामले से समझौता करने के लिए दबाव बनाने की अनुमति देती है, जिसमें मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को डराने या रिश्वत देने के लिए अपनी सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का उपयोग करना, आर्थिक और शारीरिक प्रतिशोध की धमकी देना, सामाजिक बहिष्कार, गाँव से निर्वासन या ऐसे अन्य साधन शामिल है।

केस स्टडी: उत्तराखंड की एक 9 वर्षीय दलित लड़की पंक्ति के साथ 43 वर्षीय राजपूत व्यक्ति द्वारा बलात्कार का मामला सामने आते ही सवर्णों ने पंचायत बुलाई . पंक्ति के माता–पिता को बुलाया गया। पंचायत सदस्यों ने उन्हें गांव और समाज में रहने पर "गर्व दिखाने" के लिए कहा, और उन्हें शिकायत न करने की चेतावनी दी गई। पंक्ति के पिता भी चुप रहे और उनकी मां को पंचायत में बोलने नहीं दिया गया। भारी सामुदायिक दबाव के कारण, पंक्ति के पिता को 2,00,000 रुपये लेकर मामले में समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसके बाद एक स्थानीय सीएसओ के सहयोग से अगले दिन पंक्ति के माता–पिता ने थाने में जाकर FIR दर्ज करायी– थाने जाते समय उच्च जाति के युवकों ने बाइक पर पंक्ति और उसकी मां का पीछा किया और उन्हें धमकी दी और कहा कि "पुलिस के पास जाने से कुछ नहीं होगा। पंचायत की सहमति को मान लो।"

आशा की धुंधली किरणें!

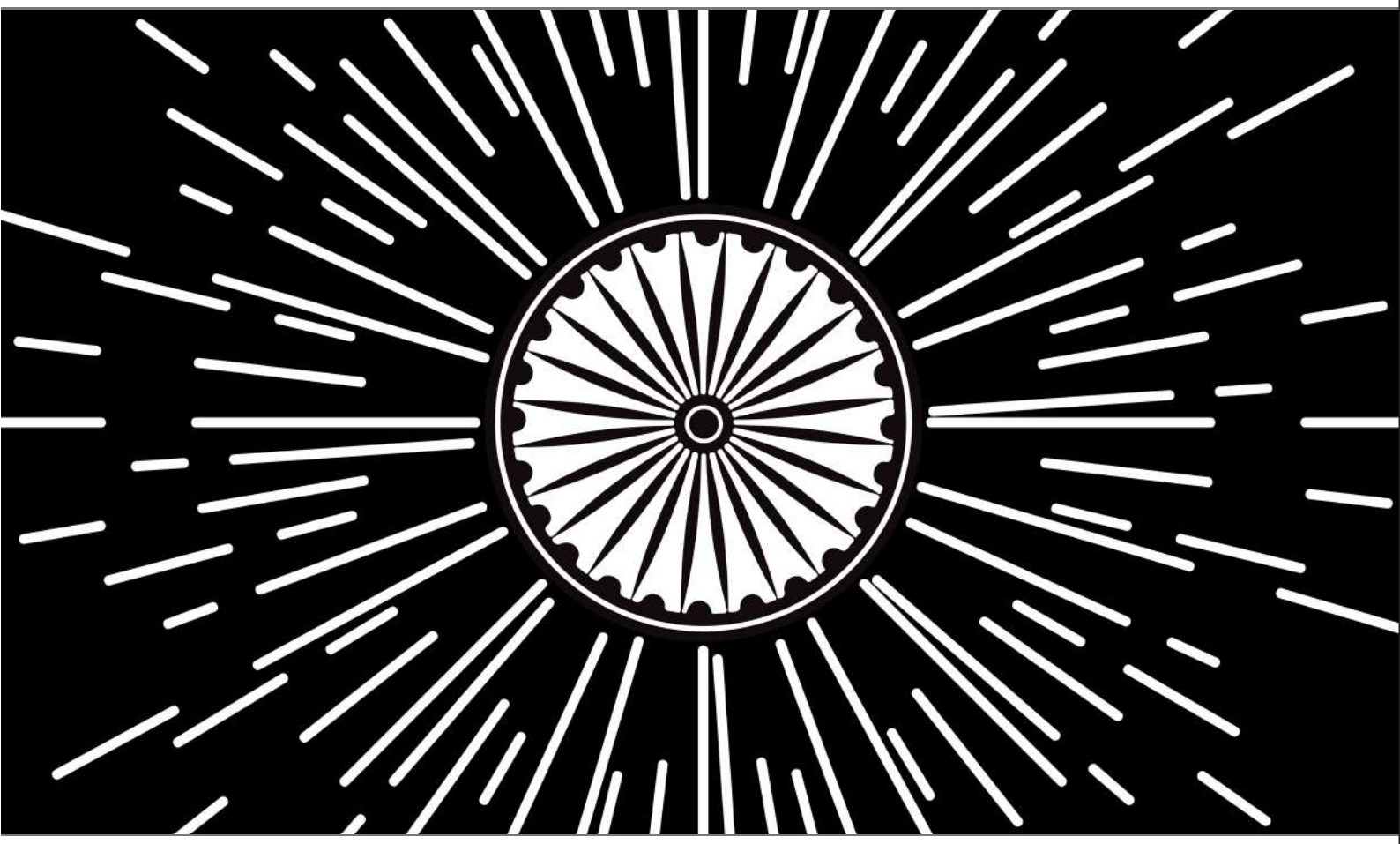

तमिलनाडु की 7 साल की दलित लड़की देवी के मामले में आरोपी को पुदुकोट्टई की महिला कोर्ट ने दोषी करार दिया और आरोपी को मौत की सजा सुनाई। सरकारी अधिकारियों ने पीड़ित परिवार की उचित सहायता की क्योंकि उस जिले में मामला बहुत सनसनीखेज हो गया था और मीडिया ने इसे राज्य समाचार बना दिया था। केस शुरू होने के 3 महीने के भीतर कोर्ट ने तमिलनाडु में पोक्सो एक्ट के तहत फैसला सुनाया। अदालत ने पीड़िता की मां को पांच लाख रुपये का मुआवजा भी दिया। अदालत के फैसले के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा मृतक परिवार को 8,50,000 रुपये का पूरा मुआवजा दिया गया। पीड़िता के परिवार वालों को लगता है कि न्याय प्राप्त हो गया है.

पीड़ितों के लिए सहायता सेवाओं की पहुंच

निर्भया फंड का उपयोग

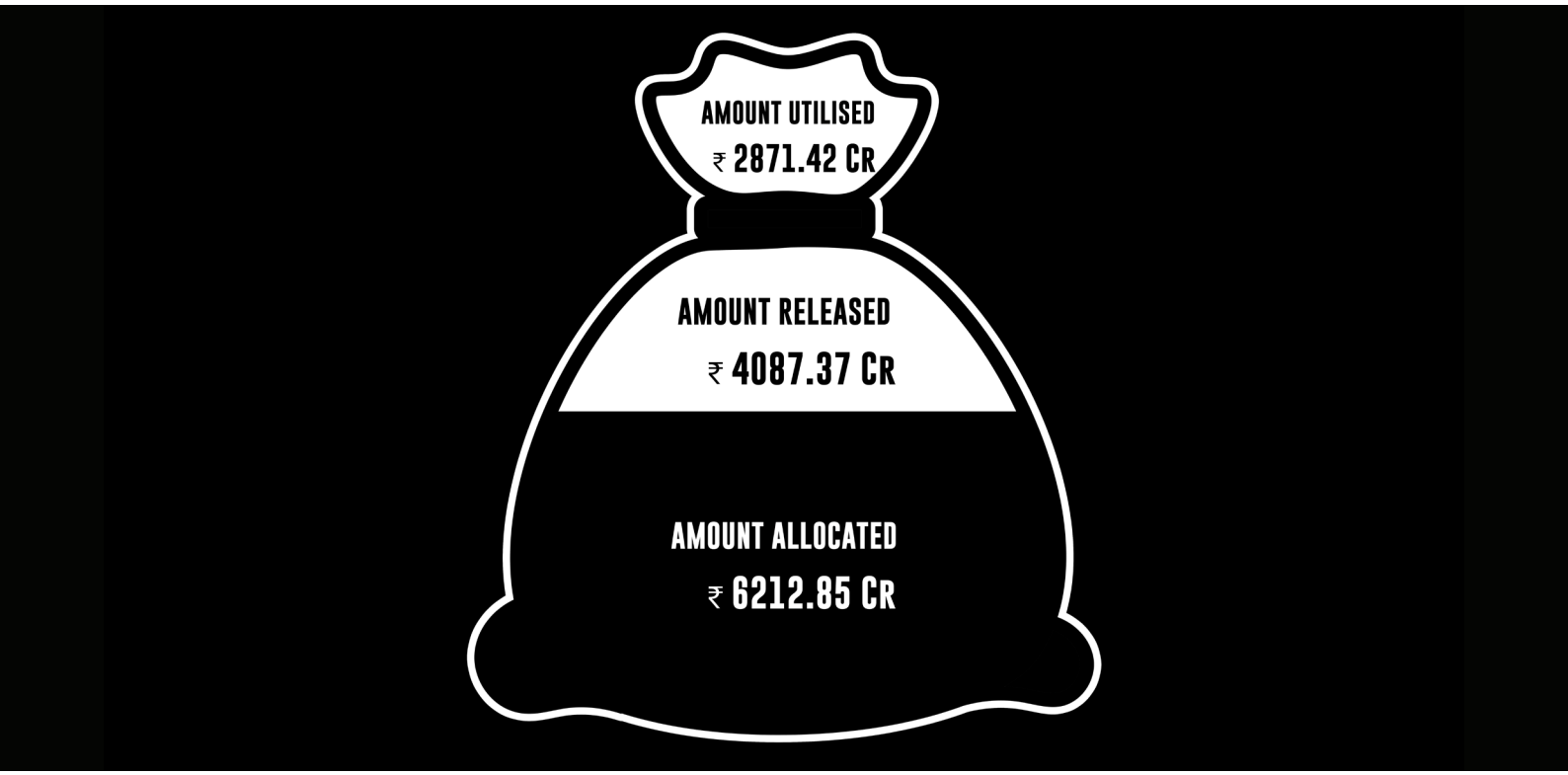

देश में महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा "निर्भया फंड" की स्थापना की गई है। ये फंड राज्य सरकारों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवंटित किए जाते हैं, जिसमें वन–स्टॉप सर्विस सेंटर, सुरक्षित शहर आश्रय परियोजनाएं, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष और इसी तरह के वित्त पोषण शामिल हैं। हालांकि ताजा आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2021 तक निर्भया फंड में आवंटित कुल रकम का सिर्फ 46.21 फीसदी ही खर्च हुआ है ।[41]

निर्भया फंड के तहत, 2015 से देश भर में लागू की गई योजनाओं में से एक – "वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना" का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे एकीकृत सेवाओं की एक श्रृंखला के साथ सुविधा प्रदान करना है । अगस्त 2021 में लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के दफ़्तर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में, 2018 से 2021 तक, देश भर में वन–स्टॉप केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों को लगभग 445.63 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। समापद, राज्यों द्वारा अब तक केवल 89.79 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है, यानी जारी की गई राशि का लगभग 20% ।[42]

बिहार ने पिछले तीन वर्षों में ओएससी की स्थापना के लिए आवंटित धन का केवल 0.48% उपयोग किया है, और कुछ राज्य किसी भी धन का उपयोग करने में विफल रहे हैं। उदाहरण के लिए, हालांकि पश्चिम बंगाल को ओएससी स्थापित करने के लिए पिछले वर्षों में 2.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, लेकिन राज्य ने इस धन का एक भी उपयोग नहीं किया है और अभी तक एक भी वन–स्टॉप सेंटर स्थापित नहीं किया है।

[41]Ministry of Women and Child Development, Utilisation of Nirbhaya Fund, Press Information Bureau, 22 July 2021, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1737773.

[42]Press Information Bureau, Nirbhaya Scheme, 6 August 2021, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1743231

मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाइयाँ

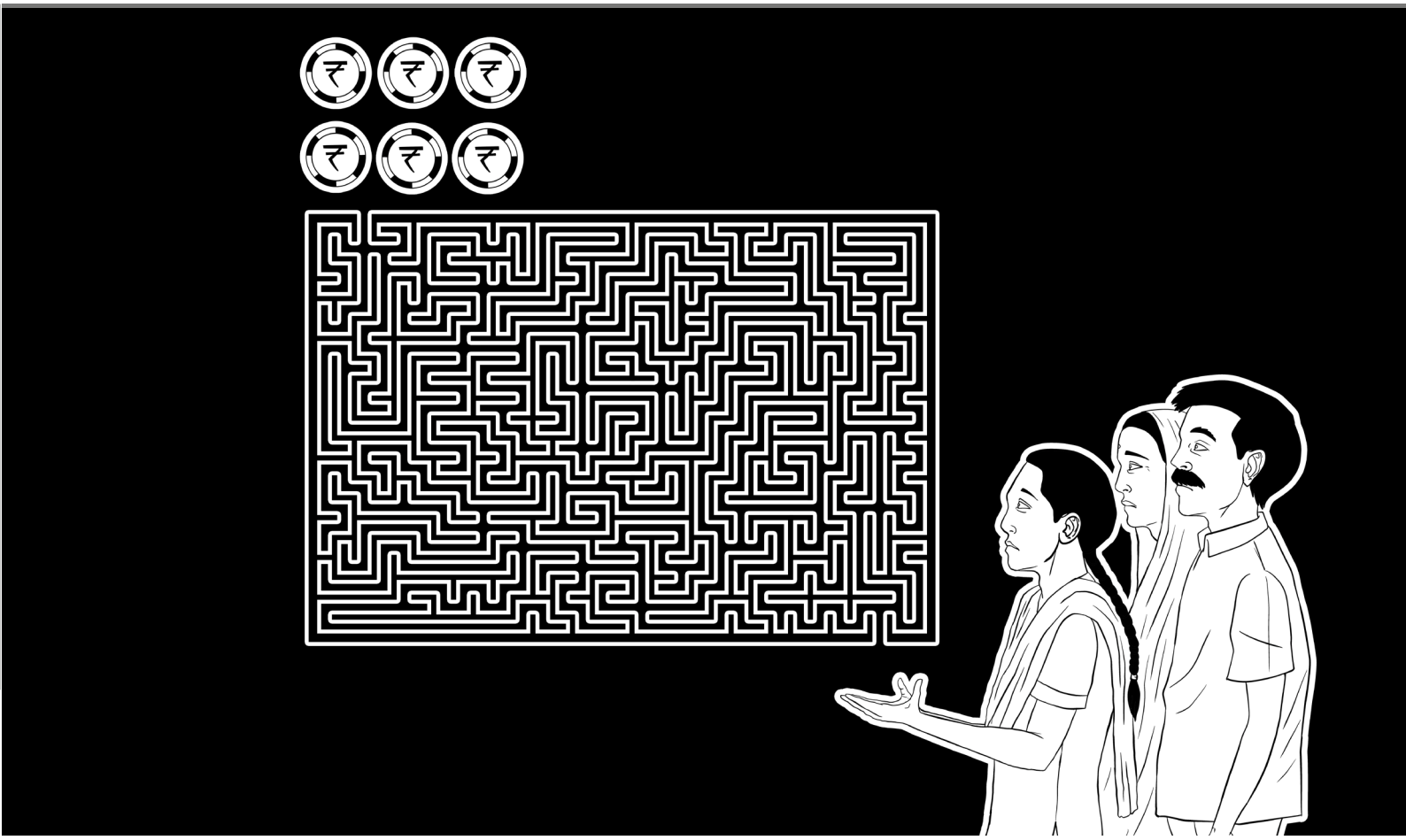

यौन हिंसा की पीड़िताएँ या उनके परिवारों को बलात्कार के अपराध के साथ–साथ एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों के लिए मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है। [43]अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) नियम बलात्कार के पीड़ितों को कम से कम 5,00,000 रुपये और सामूहिक बलात्कार के पीड़ितों को 8,25,000 रुपये का न्यूनतम मुआवजा प्रदान करते हैं, जिसमें से 50% चिकित्सा परीक्षण चिकित्सा रिपोर्ट के बाद, 25% चार्जशीट दाखिल करने के आरोप पत्र, और 25% निचली अदालत द्वारा मुकदमे के समापन पर देय है । [44]कई पीड़िताओं और कार्यकर्ताओं ने अंतरिम मुआवजे के महत्व के बारे में कहा, क्योंकि अक्सर प्राप्त धन का उपयोग प्रॉसक्यूशन पक्ष का समर्थन करने के लिए निजी वकीलों को भुगतान करने के लिए और पीड़ित या उसके परिवार के लिए अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए यात्रा की लागत करने के लिए किया जाता है। कुछ उदाहरणों में, पिड़िता के लिए चिकित्सा के भुगतान के लिए भी धन की आवश्यकता थी।

हालांकि, कानूनी अधिकार और पिड़िता या उसके परिवार के लिए मुआवजे के महत्व के बावजूद, 31%

[43]See National Legal Services Authority, Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/ other Crimes - 2018, https://nalsa.gov.in/services/victim-compensation/nalsa-s-compensation-scheme-for-women-victims-survivors-of-sexual-assault-other-crimes---2018

[44]The Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Rules 1995 (as amended in 2016), Annexure 1; http://ncsc.nic.in/files/PoA%20Amendment%20Rules,%202016.pdf

मामलों में मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ (अर्थात 44 में से 14 मामलों में)। कुछ अन्य मामलों में FIR दर्ज नहीं होने के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था, या पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने में विफलता के कारण केवल एक सीमित राशि ही प्राप्त हुई थी।

यहां तक कि जिन मामलों में मुआवजा प्राप्त हुआ था, वहां भी राशि जारी होने से पहले दलित कार्यकर्ताओं और सीएसओ को बार बार फ़ॉलो अप करना पड़ा। जहां कार्यकर्ताओं का कोई समर्थन नहीं होता है, वहां पीड़िताएँ अक्सर मुआवजे/राहत प्राप्त करने के अधिकार और उसके लिए आवश्यक कदमों से अनजान होते हैं।

इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) नियमों के तहत 7 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का प्रावधान अनिवार्य होने के बावजूद, [45]ज्यादातर मामलों में, मुआवजे के भुगतान में काफी देर हुई। विलंब की अवधि 2 महीने से 1 वर्ष के बीच थी। अंतरिम मुआवजे के भुगतान के लिए (आरोप पत्र दाखिल करने के बाद देय), आमतौर पर देरी की सूचना दी गई। एक मामले में मुआवजा चार्जशीट दायर होने के 3 साल बाद ही प्राप्त हुआ था। तत्काल और अंतरिम राहत के प्रावधान में ये लंबी देरी उनके उद्देश्य को विफल करती है क्योंकि राहत बलात्कार के बाद पिड़िता या उसके परिवार की आवश्यक जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

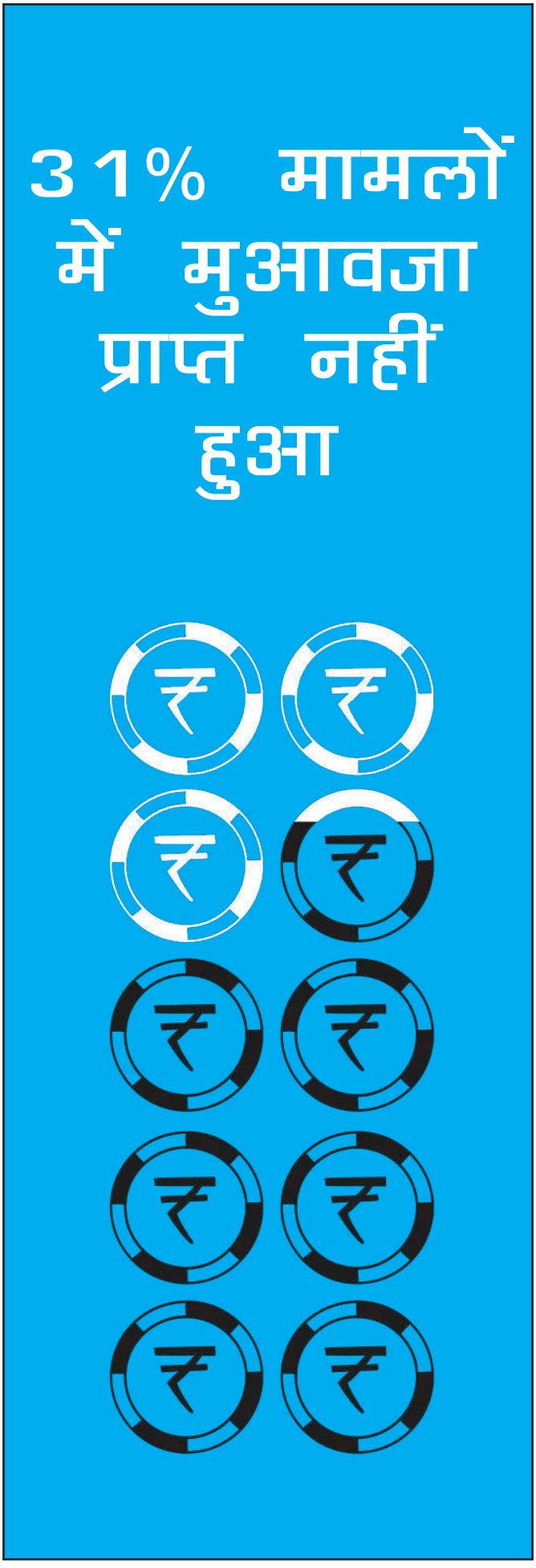

[45]Rule 12(4), The Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Rules 1995 (as amended in 2016).

मनो–सामाजिक और अन्य सहायता सेवाओं तक पहुंच

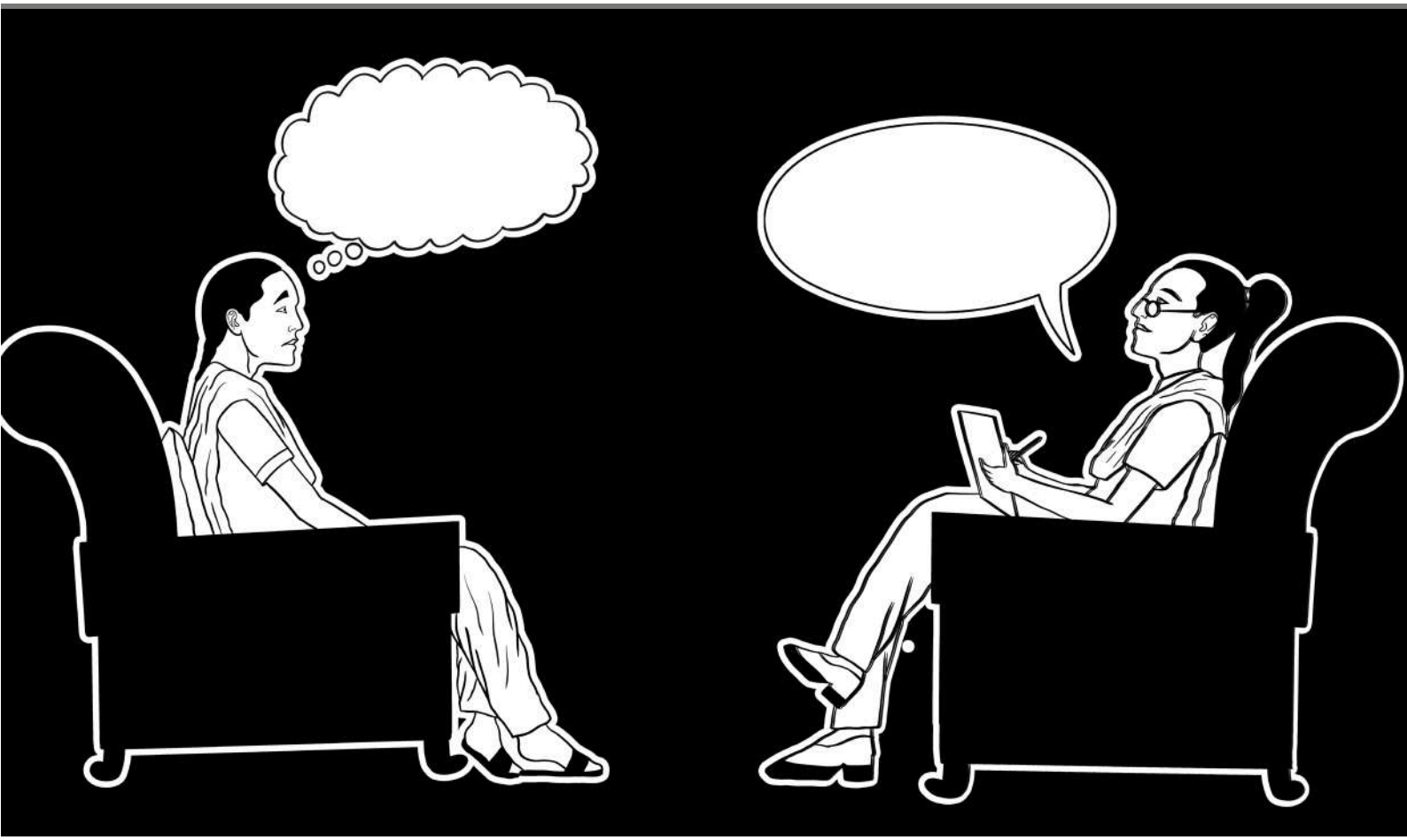

सरकारी अधिकारियों द्वारा पीड़िताओं को मनो–सामाजिक सहायता सेवाओं के प्रावधान का अभाव प्रचलित है। उत्तरजीवियों को अक्सर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से परामर्श, पुनर्वास या किसी और तरह की अन्य सहायता प्रदान नहीं की जाती है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता फोरेंसिक परीक्षा में ही फँसे रहते हैं। यहां तक कि जहां परामर्श सेवाएं उपलब्ध थीं, वहां भी परामर्शदाताओं को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया था कि यौन हिंसा से पीड़ित लोगों से कैसे बातचीत की जाए और यौन हिंसा के मामलों में आघात–सूचित प्रतिक्रियाओं का उपयोग कैसे किया जाए। आरोपी या उसके परिवार/समुदाय से धमकी या धमकी मिलने पर भी पीड़िताओं ने पुलिस सुरक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों के बारे में बताया। कुछ मामलों में, जब पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाती है, तब भी पीड़ित सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, जो उन्हें उन कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं से मिलने से मना करते हैं जो पिड़िता का समर्थन करना चाहते हैं।

पीड़ित और पीड़ितों के परिवारों के समर्थन में दलित कार्यकर्ताओं और सीएसओ की भूमिका

इस रिपोर्ट के लिए अध्ययन किए गए लगभग सभी 50 मामलों में, कुछ सहायता सेवाएं जो सरकार पीड़ितों को प्रदान करने में विफल रही, उन्हें कार्यकर्ताओं और सीएसओ द्वारा प्रदान किया गया था। दलित महिला मानवाधिकार रक्षक इस रिपोर्ट में उल्लिखित सभी पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए परामर्श, कानूनी सहायता से लेकर मामले की प्रगति की निगरानी के लिए लगातार काम कर रही हैं। पीड़ितों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने में जमीनी स्तर की दलित महिला मानवाधिकार रक्षकों और सीएसओ की भूमिका न्याय की पहुंच में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी जरूरतों सहित पिड़िता और उसके परिवारों की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाए।

दलित कार्यकर्ताओं/सीएसओ द्वारा यौन हिंसा से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों को विभिन्न रूपों में प्रदान किया गया समर्थन, और विशेष मामलों में पीड़िता के परिवार की जरूरते इस तरह से हैं:

- पैरालीगल समर्थन, जिसमें पुलिस में FIR दर्ज कराना या यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सही विवरण और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम के तहत सभी लागू प्रावधानों को शामिल कर के FIR में संशोधन किया गया है; मुआवजे पहुँचाने में सहायता; पुलिस सुरक्षा के लिए आवेदन करने में सहायता
- केस प्रक्रिया के दौरान कानूनी सहायता

- मनो–सामाजिक सहायता और परामर्श सेवाएं

- चिकित्सा खर्चों का भुगतान करने में सहायता, और जहां आवश्यक हो वहां सही चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच में सहायता

- पिड़िता या उसके परिवार को आपराधिक न्याय प्रक्रिया की व्याख्या करने सहित नैतिक समर्थन और मार्गदर्शन

- पिड़िता के लिए पुनर्वास सेवाएं, शिक्षा सहायता सहित, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बलात्कार के कारण स्कूली शिक्षा बंद/महत्वपूर्ण रूप से बाधित नहीं है; नौकरी पाने में पिड़िता का समर्थन करने के लिए कैरियर परामर्श सेवाएं

- पुलिस, मंत्रालयों, या मानवाधिकार आयोगों जैसे सरकारी अधिकारियों के साथ हस्तक्षेप के माध्यम से समर्थन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मामले की उचित जांच हो और मुकदमा चलाया जाए और पिड़िता को कानूनी अधिकार प्राप्त हों

- जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक अभियान, प्रदर्शन और रैलियों का आयोजन करना और सरकारी अधिकारियों पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए जनता का दबाव बनाना

हालांकि, पीड़िताओं के साथ काम करते समय दलित महिला मानवाधिकार रक्षकों को कई और गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ को अपने परिवारों के भीतर विरोध का सामना करना पड़ता है। उन्हें उनके आने जाने पर नियंत्रण, भूमि और संपत्ति जैसे आर्थिक संसाधनों के नियंत्रण और स्वामित्व की कमी, यौन हिंसा और हत्या के खतरों सहित प्रमुख जाति के लोगों द्वारा धमकी का सामना करना पड़ता है। उन्हें प्रतिशोध और प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ता है (कभी–कभी झूठी शिकायतों या उनके खिलाफ दर्ज थ्प्त के रूप में भी) और जिस महत्वपूर्ण कार्य में वे लगे हुए हैं उसे करने के लिए धन की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। दलित कार्यकर्ताओं ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला की दलित महिलाओं के मुद्दों पर अन्य महिला संगठन की प्रतिक्रिया अक्सर पक्षपाती होती हैं । इन बाधाओं के बावजूद, कार्यकर्ता वैकल्पिक रणनीतियों को विकसित करने और पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय पाने में सक्षम बनाने के लिए अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वे अपने क्षेत्रों में दलित महिलाओं तक पहुंचने और उनके साथ काम करने, उनके नेतृत्व को विकसित करने और पीड़ितों को उनके अधिकारों और न्याय तक पहुंचने के लिए समर्थन करने के लिए और भी अधिक उत्साहित और दृढ़ हैं।

सुझाव

केंद्र सरकार को

आम

• दलित महिलाओं के अधिकारों को समझना और उन्हें प्राप्त करने में उनकी मदद करना । यौन हिंसा की संस्कृति के खिलाफ खुद को बचाने के लिए दलित महिलाओं के चल रहे संघर्षों को पहचानें और उनका सहयोग करें ।

•. दलित महिलाओं को सामान्य महिलाओं या दलितों की श्रेणी में शामिल करने के बजाय उन्हें एक अलग सामाजिक समूह के रूप में मान्यता दें, और तदनुसार दलित सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय एजेंडा के व्यापक ढांचे के भीतर दलित महिलाओं के अधिकारों पर विशेष ध्यान देने वाली गतिविधियों को विकसित और कार्यान्वित करें। सभी सरकारी विकास नीतियों और कार्यक्रमों में एक अंतरजातीय जेंडर परिप्रेक्ष्य को मुख्यधारा में लाएँ।

• दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जाति, वर्ग और लिंग आधारित हिंसा की विशिष्टता के साथ जाति–आधारित भेदभाव और जाति–आधारित पितृसत्ता को राष्ट्रीय लक्ष्यों के रूप में समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हों, और इसके उन्मूलन को कानून और नीति में शामिल किया जाए।

आवश्यक नीतिगत उपाय करें

• दलित महिलाओं और लड़कियों के जीवन की सुरक्षा और कानून के समक्ष समान स्थिति सुनिश्चित करने के लिए निवारक और सहायक उपायों को अपनाये और दलित महिलाओं के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित और कार्यान्वित करे और लड़कियों को न्याय के लिए अपने संघर्ष में जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें पहचाने और दूर करे ।

• अपवाद 2 को हटाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में संशोधन करें और सभी परिस्थितियों में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करें।

• दलितों और महिला आंदोलनों की दलित महिलाओं के साथ–साथ दलितों के साथ काम करने वाले गैर–सरकारी संगठनों के अनिवार्य प्रतिनिधित्व के साथ दलितों के लिए सभी सुरक्षा तंत्र और निगरानी समितियों का पुनर्गठन करें। इन समितियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अत्याचार के मामलों के पंजीकरण की निगरानी के लिए सक्षम होना चाहिए।

•. हिंसा को न केवल कानून और व्यवस्था के मुद्दे के रूप में, बल्कि एक सामाजिक–आर्थिक मुद्दे के रूप में भी संबोधित करें, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि आर्थिक निर्भरता और गरीबी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से दलित महिलाओं पर की जाने वाली हिंसा के खिलाफ पुलिस

शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। हिंसा को संबोधित करने के लिए हस्तक्षेप होना चाहिए, जिसमें दलितों और सामान्य आबादी के बीच गरीबी के स्तर में अंतर को कम करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए, निश्चित समयबद्ध लक्ष्यों के भीतर, और स्पष्ट लघु और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए अलग–अलग फंडिंग के साथ एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना शामिल है। दलित महिलाओं के समग्र विकास के साथ–साथ उनके खिलाफ हिंसा का उन्मूलन भी होना चाहिए।

- प्रासंगिक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को अधिकार प्रदान करें ताकि वे कानूनी रूप से बाध्यकारी सिफारिशें कर सकें और दलित महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव और हिंसा के निवारण के लिए एक स्वतंत्र शिकायत और निगरानी तंत्र स्थापित कर सकें।

जागरूकता बढ़ाने वाले और शिक्षा कार्यक्रम लागू करें

- सामान्य रूप से दलित महिलाओं की स्थिति और विशेष रूप से दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा के संबंध में पुलिस अधिकारियों, कानून के छात्रों, न्यायाधीशों और अभियोजकों, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों और नौकरशाहों के सभी स्तरों पर जागरूकता बढ़ाने और प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित करना ज़रूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का फोकस दलितों की रक्षा के लिए विशेष कानूनों के अधिनियमन के कारणों और उद्देश्य पर होना चाहिए, एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम (2015 के संशोधनों सहित) और लिंग से जुड़ी विशिष्ट समस्याओं का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करें जिसमें इन महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले अपराधों की विशिष्ट प्रकृति के साथ–साथ अपराधों की जाति–आधारित प्रकृति भी स्पष्ट हो।

- जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देने वाले दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों को संबोधित करें और समानता को बढ़ावा देने और जाति–आधारित भेदभाव और हिंसा को चुनौती देने वाले अभियानो को सशक्त करें। उदाहरण के लिए, स्कूलों या मीडिया के माध्यम से। ऐसे अभियानों में गैर–दलित समुदायों और पुरुषों को भी शामिल करना चाहिए।

- महिलाओं और पुरुषों और विशेष रूप से दलित महिलाओं और पुरुषों की गैर–रूढ़िवादी छवियों को बढ़ावा देने के साथ–साथ दलित महिलाओं की सकारात्मक छवियों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए मीडिया को प्रोत्साहित करने में मीडिया की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालें।

उपलब्ध डेटा और अनुसंधान में सुधार करें

- महिलाओं के खिलाफ हिंसा, दलितों के खिलाफ हिंसा और दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा पर अलग–अलग आंकड़ों को सहसंबंधित करें और इस प्रणालीगत समस्या को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों के विकास में सहायता के लिए दलित महिलाओं और लड़कियों के लिए हिंसा–प्रवण क्षेत्रों का नक्शा तैयार करें, जिसमें निवारक कार्रवाई और पीड़ितों के लिए सहायता भी हो। लिंग और जाति के आधार पर सभी आपराधिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक डेटा को अलग करें। इस आँकड़ों के आधार पर दलित महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की प्राप्ति पर संसद में समय–समय पर श्वेत पत्र प्रस्तुत करें।

राज्य सरकारों का

दलित महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और यौन हिंसा की रोकथाम

- दलित महिलाओं और लड़कियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यक्रमों को लागू करें, उनका समर्थन करें और उनके लिए धनराशि दें। इन में एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत अधिकारों के बारे में जानकारी शामिल हो, इनमें समुदाय आधारित शिक्षा, कानूनी साक्षरता अभियान और ज्ञान और समझ बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शामिल हो। जिसमें सामान्य रूप से महिलाओं और विशेष रूप से दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कारणों, परिणामों और तंत्र के बारे में सूचना भी शामिल हो।

- सुनिश्चित करें कि हिंसा की रिपोर्ट करने वाली दलित महिलाओं और लड़कियों को आरोपियों और उनके समर्थकों द्वारा प्रतिशोध, सामाजिक बहिष्कार और उनके खिलाफ नए सिरे से हिंसा के अपराध से बचाया जाए; इन नीतियों में महेन्द्र चावला और अन्य v भारत संघ और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पीड़ित और गवाह संरक्षण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से शामिल हो।

- सुनिश्चित करें कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां और अन्य राज्य तंत्र के एजेंट, जिनमें नौकरशाह, कल्याण विभाग, चिकित्सा और पैरामेडिकल एजेंसियां और स्थानीय निकाय शामिल हैं, दलित महिलाओं और लड़कियों की शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम होने के लिए संवेदनशील हैं।

मौजूदा कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन

- दलित महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय के कुशल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली को तत्काल प्रभावी निगरानी में लाएं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का पूर्ण और सख्त कार्यान्वयन और दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के मामलों की समय पर जांच और निपटान सुनिश्चित करें।

- दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा के सभी मामलों की प्रभावी जांच और सुनवाई में तेजी लाए, यह सुनिश्चित करें कि इन मामलों में लागू कानून के अनुसार अत्याचारों की रिपोर्ट करने की तारीख से चार महीने के भीतर फैसला सुनाया जाए।

- सुनिश्चित करें कि बलात्कार पीड़िता की पहचान की गोपनीयता की रक्षा के लिए यौन हिंसा के मामलों में मजिस्ट्रेट को दिए गए धारा 164 के बयान भी कैमरे में लिए जाए।

पुलिस प्रतिक्रिया और जवाबदेही में सुधार करें

• सुनिश्चित करें कि उन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाए जो सबूत के साथ छेड़छाड़ करते हैं (परिवार के सदस्यों की सहमति के बिना पीड़ितों के जबरन दाह संस्कार के माध्यम से), आरोपी व्यक्तियों को कानून की उचित और निष्पक्ष प्रक्रिया से बचाते हैं, या यौन हिंसा/अपराधियों के आरोपी व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए काम करते हैं। .

• हिंसा प्रभावित जिलों में उचित रूप से प्रशिक्षित और लिंग– और जाति–संवेदनशील महिला पुलिस अधिकारियों को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त करें ताकि वे दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के मामलों को कुशलता से संभाल सकें।

• सभी पुलिस अधिकारियों को पुलिस अकादमी में दिए गया पुलिस प्रशिक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम के प्रावधानों और जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के अंतरविरोधी रूपों के कारण दलित महिलाओं और लड़कियों को न्याय प्राप्त करने में आने वाली विशिष्ट बाधाओं के बारे में सभी पहलुओं में संवेदनशील बनाने के प्रावधान लागू करें।

• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम के तहत अत्याचार के मामलों से निपटने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की अध्यक्षता में एक अलग सेल बनाएं।

• दलित महिलाओं और बाल संरक्षण इकाइयों की स्थापना पुलिस, अनुसूचित जाति संरक्षण, विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित मंत्रालयों और दलित महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले गैर–सरकारी संगठनों और आंदोलनों के साथ साझेदारी में करें।

पीड़ित–जीवित लोगों को समग्र सहायता प्रदान करें

• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यौन हिंसा की पीड़िताओं के लिए मेडिको–कानूनी देखभाल के लिए 2014 दिशानिर्देशों को अपनाएं और कार्यान्वित करें, यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (मेडिकल छात्रों सहित) को भी इन दिशानिर्देशों में प्रशिक्षित किया गया है। मेडिकल टेस्ट के लिए पीड़िताओं की सूचित सहमति प्राप्त करने के महत्व सहित, जाति आधारित यौन हिंसा के उत्तरजीवियों को लिंग–संवेदनशील सहायता कैसे प्रदान की जाए, यह ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए।

• सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार टू–फिंगर टेस्ट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य–स्तरीय दिशा–निर्देश जारी करें और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित दो–उंगली परीक्षण करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

• परामर्श और मनो–सामाजिक सहायता सेवाओं के प्रावधान सहित दलित महिला पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को समग्र और पर्याप्त पुनर्वास के संयोजन के साथ तत्काल राहत प्रदान करें।

• हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए विशेष सेवाएं स्थापित करें ताकि वे मनोवैज्ञानिकों, डॉक्टरों, वकीलों, विवाह सलाहकारों आदि की पेशेवर सहायता से लाभान्वित हो सकें। इसमें सरकारी अस्पतालों

और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं की पहचान करने में मदद करने के लिए विशेष इकाइयां या प्रक्रियाएं शामिल हों।

- यौन हिंसा से बची नाबालिग दलित लड़कियों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करें कि वे अपनी पढ़ाई जारी रखें और एक सम्मानजनक जीवन जीतीं रहें।

- यौन हिंसा की शिकार दलित महिलाओं और लड़कियों को उपयुक्त रूप से योग्य वकील प्रदान करने के मौजूदा प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करें। यह सुनिश्चित करें कि कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाले राज्य स्तर के अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर यौन हिंसा के पीड़ित दलितों को तुरंत ये सेवाएं प्रदान करें।

- एक पुनर्वास उपाय के रूप में सुरक्षित, मूल्यवान नौकरी और पेंशन पाने के लिए यौन हिंसा से पीड़ित वयस्क दलित महिलाओं का समर्थन करें।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और संबंधित राज्य आयोगों को

- दलित महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए महिला मानवाधिकार रक्षकों (डब्ल्यूएचआरडी) के बढ़ते हमलों और हिंसा की मान्यता में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को ऐसे सभी मुद्दों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए

- दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भीषण और निरंतर हिंसा को रोकने के लिए ठोस उपाय सुझाने के लिए मिलकर काम करें, क्योंकि दलित महिलाओं के मानवाधिकारों की पूर्ण सुरक्षा और प्रचार केवल जाति, लिंग और लिंग भेदभाव के प्रतिच्छेदन को समझ कर ही संबोधित किया जा सकता है। और सभी प्रावधानों और नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम के तहत मामले दर्ज करने का सख़्त अनुग्रह करें।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम और संबंधित कानूनी अधिकारों और उपलब्ध उपायों के बारे में सक्रिय रूप से जागरूकता बढ़ाने सहित दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें।

कॉपीराइटः DHRDNet

नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन लीडर्स (एनसीडब्ल्यूएल) के बारे में:

नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन लीडर्स (एनसीडब्ल्यूएल) उन महिला नेताओं का एक गठबंधन है जो भारत में हाशिए के समुदायों से संबंधित हैं और अपने समुदायों में हाशिए की महिलाओं और लड़कियों को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं।

फेसबुकः एनसीडब्ल्यूएलइंडिया ट्विटरः @एनसीडब्ल्यूएलइंडिया
इंस्टाग्रामः @NCWLIndia यूट्यूबः @NCWLIndia

www-ncwl-org-in

दलित ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स नेटवर्क (डीएचआरडीनेट) के बारे में:

दलित ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स नेटवर्क (डीएचआरडीनेट) पूरे भारत के 1000 से अधिक दलित मानवाधिकार रक्षकों का गठबंधन है। DHRDNet का मुख्य उद्देश्य प्रमुख दलित मानवाधिकार रक्षकों का एक कुशल नेटवर्क बनाना है ताकि अधिकारों के हनन का मुकाबला किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि तंत्र ठीक से और पूरी तरह से लागू किया जाए।

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के बारे में:
उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता की एक संस्था जो ज्ञान के विकास और अनुप्रयोग के माध्यम से बदलती सामाजिक वास्तविकताओं का लगातार जवाब देती है, एक जन–केंद्रित, पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ और न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में जो सभी के लिए गरिमा, समानता, सामाजिक न्याय और मानवा. धिकारों को बढ़ावा देती है और उनकी रक्षा करती है।
www-tiss-edu

मार्च 2022